

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2016-श्रावण 7, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरी 10वीं एवं 12वीं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल की अंकसूची में मेरा नाम मनीष जोसेफ आत्मज श्री ग्लेडविन चार्ल्स अंकित है, अन्य समस्त शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम मनीष जोसेफ चार्ल्स (Manish Joseph charies) अंकित है. मुझे भविष्य में समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय कार्य व्यवहार में मनीष जोसेफ चार्ल्स के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

(मनीष जोसेफ)

(253-बी.)

नया नाम :

(मनीष जोसेफ चार्ल्स)

निवासी-1728, पश्चिमी घमापुर बाई का बगीचा,
जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, हितेन्द्र कुमार शर्मा (Hitendra Kumar Sharma) आत्मज श्री ठग्गुराव शर्मा (Thaggu Rao Sharma), निवासी-136, जय भीम नगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर आम जन को सूचित करता हूँ कि रेल्वे के सेवा पंजी में मेरा नाम हितेन्द्र कुमार (Hitendra Kumar) आत्मज श्री ठग्गुराव (Thaggu Rao) दर्ज चला आ रहा है, जबकि मेरा सही नाम हितेन्द्र कुमार शर्मा (Hitendra Kumar Sharma) आत्मज श्री ठग्गुराव शर्मा (Thaggu Rao Sharma) है. यह दोनों नाम मेरे अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं. अतः मुझे भविष्य में मेरे सही नाम हितेन्द्र कुमार शर्मा (Hitendra Kumar Sharma) आत्मज श्री ठग्गुराव शर्मा (Thaggu Rao Sharma)से जाना, पहचाना एवं लिखा जावे एवं सभी शासकीय और गैर शासकीय कार्यों में यही नाम मान्य हो.

पुराना नाम :

(हितेन्द्र कुमार)

(HITENDRA KUMAR)

आत्मज श्री ठग्गुराव (Thaggu Rao).

(254-बी.)

नया नाम :

(हितेन्द्र कुमार शर्मा)

(HITENDRA KUMAR SHARMA)

आत्मज श्री ठग्गुराव शर्मा (Thaggu Rao Sharma).

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र वंश चौधरी पुत्र विकास चौधरी जो सेंट नॉर्बर्ट स्कूल, रंगवासा, इंदौर, कक्षा दूसरी उत्तीर्ण कर वर्तमान कक्षा तीसरी "इ" में अध्ययनरत है. स्कूल में उसका नाम वंश चौधरी के नाम से दर्ज है. अब नाम परिवर्तन कर वंश रघुवंशी पुत्र शिव रघुवंशी एवं माता श्रीमती उर्वशी रघुवंशी के नाम से जाना जाए.

सूचनाकर्ता—

शिव रघुवंशी, उर्वशी रघुवंशी

निवासी-1170-बी, स्कीम नं. 71,

रणजीत हनुमान मंदिर के पीछे, इन्दौर 452009.

(255-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम हेमलता भार्गव पति श्री पुष्यमित्र भार्गव व्यवसाय वकालत वर्तमान में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है तथा अब मैं जुही भार्गव के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(हेमलता भार्गव)

(256-बी.)

नया नाम :

(जुही भार्गव)

पता-2775-ई, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हाईस्कूल मार्कशीट में मेरा नाम सुख सिंह (SUKH SINGH) अंकित है. मैंने सर्विस (PSU) में आने के उपरांत अपना नाम परिवर्तित कर सुख सिंह गौर (SUKH SINGH GAUR) पुत्र स्व. श्री अबध लाल गौर (LATE SHRI ABADH LAL GAUR) रख लिया है.

यह कि, अब भविष्य में मुझे सुख सिंह गौर (SUKH SINGH GAUR) के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सुख सिंह)

(SUKH SINGH)

(257-बी.)

नया नाम :

(सुख सिंह गौर)

(SUKH SINGH GAUR)

पुत्र स्व. श्री अबध लाल गौर,

निवासी-105, सत्यम् रेजीडेंसी, सत्यदेव नगर,

गांधी रोड गिर्द, आर. के. पुरी, ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, NARAYAN here by declare that I have change my name as NARAYAN UJJAINI. So, from now and in future I will be known by new name.

Old Name:

(NARAYAN)

(261-B.)

New Name :

(NARAYAN UJJAINI)

Address—I-484, L.I.G Colony,

Indore (M.P.).

NOTICE**U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIPACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm " M/s. HARIDAS " of Bhopal *Vide* Registration No. 01/01/01/00314/2009, dated 20-03-2009 undergone the following changes:-

1. That Shri Vijay Menghani S/o Shri Indra Das Menghani has joined the firm *w.e.f.* 01/04/2016.

" M/s. HARIDAS "

INDRA DAS MENGHANI,

(Partner)

B-41, Vijay Nagar, Lalghati,

Bhopal (M.P.).

(258-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स साईं कृपा एसोसिएट्स (SAIN KRIPA ASSOCIATES)

जो कि रजिस्ट्रार फार्मस एंड सोसायटीज मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 01/07/03/00222/05, दिनांक 10/03/2005 पर पंजीयत फर्म है, जिसका oržku irkug: xā] bVkj l he • i n'sk 461111 gS Hk&hmkjad se • v ki l h l g e fr l si Qe Zd kule l h k Zd ik, l k l, V I (SAIN KRIPA ASSOCIATES) के स्थान पर, मेसर्स साई कृपा एसोसिएट्स (SAI KRIPA ASSOCIATES) करने का निर्णय लिया गया है, जो कि आज दिनांक 01-06-2016 से फर्म का नाम मेसर्स साई कृपा एसोसिएट्स (SAI KRIPA ASSOCIATES) जाना जाये।

प्रदीप कुमार शर्मा,

(अधिवक्ता).

(259-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स क्वालिटी रियलिटी, (पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00200/11) 121, देवी अहिल्या मार्ग, इन्दौर. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत के पंजीकृत साझेदारी फर्म है. उपरोक्त फर्म में से निम्न साझेदार दिनांक 15-01-2015 से स्वेच्छिक रूप से पृथक् हुए हैं. 1. श्री भरत पिता राजेन्द्र पारीक, इन्दौर, 2. श्री करण पिता सुभाष सोमानी, इन्दौर, 3. मेसर्स दिनेश ओमप्रकाश सोमानी (एचयूएफ), इन्दौर भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना.

For Quality Reality,

राजेश चेलावत,

(Partner).

(260-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स रामश्री इन्टरप्राइजेज, स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर, कसेरा ओली, लशकर, ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00137/10, दिनांक 08-09-2010 है. जिसमें दिनांक 05-09-2014 को भागीदार (1) श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा, निवासी मकान नं. 14, महल कॉलोनी, शिवपुरी एवं (2) श्री रंजन शुक्ला पुत्र श्री गिरांज शुक्ला, निवासी बाई साहब की बरेड़, लशकर, ग्वालियर फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह सात दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें.

मै. रामश्री इन्टरप्राइजेज,

प्रदीप शर्मा,

(पार्टनर)

लशकर, ग्वालियर.

(262-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स न्यू आरंज सिटी ब्रिक्वेजेज फर्म में 15-02-2016 से श्री रविन्दर सिंह सेठी को फर्म का भागीदार बनाया गया तथा फर्म के भागीदार श्री जलबिन्दर सिंह रील एवं श्री कुलवंत दुआ को फर्म की भागीदारी से हटाया गया.

न्यू आरंज सिटी ब्रिक्वेजेज,

सतिन्दर सिंह सेठी,

(भागीदार).

(263-बी.)

NOTICE

NOTIFICATION U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

It is published for general information SHRI VIBHASH SUREKA S/O SHRI SUSHIL SUREKA representing as Karta of VIBHASH SUREKA (HUF) R/o 5, Gulmohar Colony, Indore, Teh. and dist. Indore, (M.P.), Pin:452001, SMT. SAVITIRI DEVI SUREKA W/O SHRI SUSHIL KUMAR SUREKA R/O 5, Gulmohar Colony, Indore, Teh. And, Dist. Indore (M.P.) PIN:452001, and SMT. SUNITA S SUREKA W/o SHRI VIBHASH SUREKA, R/o 5, Gulmohar Colony, Indore, Teh. and Dist. Indore, (M.P.) Pin 452001 has retired on 31-03-2015 from the firm " M/s B.M. NARAYAN & CO., 410, COMMERCE HOUSE, 7, RACE COURSE ROAD, INDORE, Indore, Teh. & Dist., Indore (M.P.), Pin 452001 AND VINIT SUREKA S/o SHRI VIBHASH SUREKA R/o 5, Gulmohar Colony, Indore, Teh. And Dist. Indore, (M.P.) Pin: 452001 have joined as a new partners on 01-04-2015 in the firm M/s B.M. NARAYAN & CO., 410, COMMERCE HOUSE, 7, RACE COURSE ROAD, INDORE, indore, Teh. & Dist. Indore (M.P.), Pin:452001.

For: M/s B. M. Narayan & Co.

SUSHIL SUREKA,

(Partner)

Indore (M.P.).

(264-B.)

कम्पनी विघटन की सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सपना फूड इंडस्ट्रीज मण्डी सीहोर, प्लॉट नम्बर 16 व 17 इंडस्ट्रीयल ऐरिया मण्डी, सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/02/01/0471/16, सन् 2015-16 है जो कि एक साझेदारी कम्पनी है। आज दिनांक 04-07-2016 से अब यह कम्पनी साझेदारी की न होकर इसका विघटन होने जा रहा है इस कम्पनी के पक्षकार दीपक कौशल एवं विशाल टिडवानी हैं। इसका विघटन दोनों पक्षों की सहमती से होने जा रहा है। इस कम्पनी का बैंक एवं अन्य किसी संस्था से कोई लेन-देन नहीं है। आगामी दिनांक से कम्पनी का लेन-देन दोनों पक्षकार से न होकर एक पक्षकार दीपक कौशल जो इसका स्वामित्व लेने जा रहे हैं, से होगा।

आगे भविष्य में सभी प्रकार के वित्तीय व्यवहार एवं लेनदेन दीपक कौशल द्वारा किये जायेंगे।

अतः सरकारी नियमानुसार कम्पनी विघटन की सूचना प्रकाशित की जा रही है।

बी. एस. चन्देल,

(एडवोकेट)

सीहोर (म.प्र.)

(265-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स भगवत प्रसाद शर्मा, 185, गायत्री बिहार कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश फर्म व सोसायटी ग्वालियर से पंजीयन क्र. 02/41/01/00125/06, दिनांक 26-12-2006 है। जिसमें दिनांक 01-04-2016 को भागीदार- (1) श्री भागीरथ शर्मा पुत्र श्री मुरारी लाल शर्मा एवं (2) श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री बैजनाथ शर्मा, (3) श्री रमेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री सुगन चंद्र शर्मा फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह सात दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

मै. भगवत प्रसाद शर्मा,

भगवत प्रसाद शर्मा

(भागीदार)

185, गायत्री विहार कॉलोनी, ठाटीपुर,

ग्वालियर (म.प्र.)

(266-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 09 जुलाई, 2016

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 31 मई, 2016 (मंगलवार) संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति

वि.क्र.-344/22/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-02/परीक्षा/2016/17 मार्च, 2016 ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 14 अप्रैल, 2016, शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2016/13-04-2016 (राज्य सेवा परीक्षा-2016, परीक्षा तिथि में संशोधन तथा ऑनलाइन आवेदन अवधि में वृद्धि की सूचना) के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल, 2016 है, राज्य सेवा परीक्षा-2016 के कुल-255 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 31 मई, 2016 (मंगलवार) को दो सत्रों में प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे एवं दोपहर 02.15 से 04.15 बजे तक 51 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी।

उपरोक्त लिखित परीक्षा में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-344/22/2016/अनु.-10, दिनांक 09 जुलाई, 2016 द्वारा घोषित किया गया है यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर देखने के लिये उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.in पर देखा जा सकता है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 हेतु 4462 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये। इनमें अनारक्षित-2174, अनुसूचित जाति-686, अनुसूचित जनजाति-937, अन्य पिछड़ा वर्ग-665, (कुल अर्ह आवेदकों में निःशक्त-202, भूतपूर्व सैनिक-70 एवं समान अंक 637 अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं) यह स्पष्ट किया जाता है, कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणित मानी जाएगी।

2. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2016 अर्ह आवेदकों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 की लिखित परीक्षा, दिनांक 02 नवम्बर, 2016 से होगी। इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे।
3. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल फोटो पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायेंगे। परीक्षा के समय इसकी प्रतिदिन जांच की जावेगी। मूल पहचान-पत्र प्रवेश-पत्र के साथ नहीं लाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
4. अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम. पी. ऑनलाइन से दिनांक 20 जुलाई, 2016 से 12 अगस्त, 2016 तक भर सकेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जावेगी।

दिनेश जैन,

परीक्षा नियंत्रक.

(569)

इन्दौर, दिनांक 09 जुलाई, 2016

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 31 मई, 2016 (मंगलवार) लिखित परीक्षा परिणाम

वि.क्र.-344/22/2016/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-02/परीक्षा/2016/17 मार्च, 2016 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 14 अप्रैल, 2016, शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2016/13-04-2016 (राज्य सेवा परीक्षा-2016, परीक्षा तिथि में संशोधन तथा ऑनलाईन आवेदन अवधि में वृद्धि की सूचना) के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल, 2016 है, राज्य सेवा परीक्षा-2016 के कुल-255 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2016, परीक्षा दिनांक 31 मई, 2016 (मंगलवार) को दो सत्रों में प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे एवं दोपहर 02.15 से 04.15 बजे तक 51 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी.

उपरोक्त परीक्षा में पद संख्या के 15 गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं. कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या-4462 है. इनमें से श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है:-

श्रेणी	विज्ञापित पद-255	प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या 4462 (इनमें श्रेणीवार, समान अंक निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भी सम्मिलित हैं)
अनारक्षित-	131	2174
अनुसूचित जाति-	38	686
अनुसूचित जनजाति-	54	937,
अन्य पिछड़ा वर्ग-	32	665
	255	4462

कुल-4462 अर्ह आवेदकों में निःशक्त अभ्यर्थी-202 एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी-70 सम्मिलित है.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 हेतु प्रावधिक अर्ह पाए गए-4462 आवेदकों के रोल नम्बर निम्नानुसार है:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE SERVICE PRELIMINARY EXAM-2016

ROLL No. WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL)

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1.	100003	25.	100551	49.	100938	73.	101358	97.	101671
2.	100041	26.	100575	50.	100954	74.	101380	98.	101673
3.	100067	27.	100581	51.	100996	75.	101383	99.	101725
4.	100069	28.	100594	52.	101018	76.	101396	100.	101729
5.	100100	29.	100622	53.	101024	77.	101401	101.	101730
6.	100180	30.	100638	54.	101028	78.	101418	102.	101736
7.	100193	31.	100665	55.	101038	79.	101457	103.	101740
8.	100204	32.	100672	56.	101104	80.	101469	104.	101744
9.	100233	33.	100677	57.	101115	81.	101474	105.	101755
10.	100238	34.	100689	58.	101145	82.	101475	106.	101759
11.	100251	35.	100724	59.	101148	83.	101477	107.	101760
12.	100260	36.	100735	60.	101154	84.	101505	108.	101773
13.	100263	37.	100742	61.	101171	85.	101508	109.	101784
14.	100301	38.	100757	62.	101181	86.	101512	110.	101792
15.	100307	39.	100781	63.	101200	87.	101541	111.	101802
16.	100330	40.	100784	64.	101209	88.	101571	112.	101819
17.	100335	41.	100811	65.	101228	89.	101575	113.	101834
18.	100369	42.	100812	66.	101238	90.	101581	114.	101841
19.	100395	43.	100822	67.	101252	91.	101586	115.	101867
20.	100407	44.	100843	68.	101267	92.	101605	116.	101876
21.	100422	45.	100879	69.	101274	93.	101614	117.	101900
22.	100428	46.	100905	70.	101324	94.	101640	118.	101904
23.	100447	47.	100921	71.	101340	95.	101660	119.	101962
24.	100501	48.	100932	72.	101342	96.	101663	120.	101994

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
121.	102002	174.	102917	227.	104132	280.	105412	333.	106499
122.	102031	175.	102939	228.	104141	281.	105429	334.	106522
123.	102059	176.	102961	229.	104180	282.	105433	335.	106537
124.	102085	177.	102980	230.	104181	283.	105436	336.	106555
125.	102090	178.	103008	231.	104192	284.	105456	337.	106568
126.	102097	179.	103055	232.	104216	285.	105494	338.	106578
127.	102099	180.	103067	233.	104255	286.	105514	339.	106594
128.	102177	181.	103081	234.	104262	287.	105533	340.	106603
129.	102206	182.	103085	235.	104300	288.	105580	341.	106615
130.	102227	183.	103100	236.	104303	289.	105597	342.	106640
131.	102256	184.	103120	237.	104342	290.	105601	343.	106708
132.	102264	185.	103158	238.	104418	291.	105606	344.	106730
133.	102337	186.	103165	239.	104491	292.	105608	345.	106749
134.	102343	187.	103192	240.	104538	293.	105610	346.	106764
135.	102346	188.	103194	241.	104542	294.	105630	347.	106768
136.	102361	189.	103224	242.	104598	295.	105644	348.	106770
137.	102379	190.	103238	243.	104615	296.	105646	349.	106775
138.	102384	191.	103273	244.	104636	297.	105654	350.	106782
139.	102413	192.	103281	245.	104657	298.	105683	351.	106784
140.	102414	193.	103317	246.	104663	299.	105687	352.	106790
141.	102423	194.	103342	247.	104664	300.	105727	353.	106795
142.	102435	195.	103353	248.	104674	301.	105742	354.	106803
143.	102455	196.	103365	249.	104687	302.	105744	355.	106828
144.	102480	197.	103366	250.	104716	303.	105799	356.	106841
145.	102485	198.	103380	251.	104727	304.	105822	357.	106854
146.	102510	199.	103411	252.	104756	305.	105824	358.	106884
147.	102518	200.	103413	253.	104813	306.	105828	359.	106896
148.	102533	201.	103487	254.	104826	307.	105846	360.	106914
149.	102544	202.	103506	255.	104844	308.	105865	361.	106916
150.	102548	203.	103605	256.	104865	309.	105866	362.	106924
151.	102568	204.	103612	257.	104914	310.	105868	363.	106929
152.	102598	205.	103620	258.	104935	311.	105899	364.	106932
153.	102604	206.	103650	259.	104938	312.	105938	365.	107059
154.	102610	207.	103665	260.	104973	313.	105942	366.	107082
155.	102614	208.	103700	261.	105008	314.	105968	367.	107090
156.	102621	209.	103701	262.	105048	315.	106018	368.	107130
157.	102626	210.	103702	263.	105051	316.	106023	369.	107137
158.	102672	211.	103793	264.	105091	317.	106029	370.	107165
159.	102701	212.	103823	265.	105102	318.	106050	371.	107196
160.	102715	213.	103825	266.	105107	319.	106061	372.	107199
161.	102716	214.	103850	267.	105118	320.	106096	373.	107220
162.	102722	215.	103875	268.	105161	321.	106240	374.	107229
163.	102731	216.	103880	269.	105163	322.	106247	375.	107244
164.	102736	217.	103903	270.	105181	323.	106303	376.	107249
165.	102833	218.	103960	271.	105253	324.	106320	377.	107252
166.	102837	219.	103968	272.	105309	325.	106344	378.	107274
167.	102849	220.	103972	273.	105314	326.	106353	379.	107279
168.	102870	221.	104020	274.	105321	327.	106358	380.	107300
169.	102893	222.	104043	275.	105329	328.	106406	381.	107305
170.	102904	223.	104051	276.	105333	329.	106425	382.	107326
171.	102907	224.	104054	277.	105344	330.	106426	383.	107328
172.	102911	225.	104068	278.	105363	331.	106448	384.	107380
173.	102913	226.	104106	279.	105398	332.	106495	385.	107398

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
386.	107419	439.	108802	492.	110151	545.	111210	598.	112659
387.	107420	440.	108822	493.	110181	546.	111228	599.	112666
388.	107432	441.	108893	494.	110192	547.	111243	600.	112709
389.	107433	442.	108911	495.	110207	548.	111251	601.	112712
390.	107525	443.	108956	496.	110255	549.	111269	602.	112713
391.	107588	444.	108976	497.	110261	550.	111275	603.	112722
392.	107598	445.	109040	498.	110263	551.	111284	604.	112752
393.	107599	446.	109064	499.	110295	552.	111290	605.	112806
394.	107613	447.	109114	500.	110312	553.	111298	606.	112837
395.	107659	448.	109127	501.	110353	554.	111303	607.	112841
396.	107691	449.	109144	502.	110376	555.	111315	608.	112850
397.	107739	450.	109190	503.	110380	556.	111349	609.	112909
398.	107757	451.	109201	504.	110383	557.	111361	610.	112983
399.	107780	452.	109218	505.	110388	558.	111457	611.	112997
400.	107797	453.	109219	506.	110392	559.	111478	612.	113015
401.	107810	454.	109257	507.	110394	560.	111479	613.	113028
402.	107821	455.	109326	508.	110399	561.	111495	614.	113044
403.	107822	456.	109374	509.	110403	562.	111503	615.	113079
404.	107827	457.	109379	510.	110432	563.	111555	616.	113087
405.	107828	458.	109387	511.	110435	564.	111581	617.	113154
406.	107857	459.	109432	512.	110469	565.	111604	618.	113178
407.	107890	460.	109447	513.	110478	566.	111697	619.	113191
408.	107904	461.	109459	514.	110559	567.	111702	620.	113195
409.	107929	462.	109473	515.	110591	568.	111814	621.	113216
410.	107968	463.	109500	516.	110597	569.	111845	622.	113241
411.	107986	464.	109510	517.	110599	570.	111934	623.	113260
412.	108065	465.	109518	518.	110659	571.	111953	624.	113283
413.	108070	466.	109573	519.	110661	572.	111974	625.	113307
414.	108082	467.	109630	520.	110677	573.	111981	626.	113369
415.	108114	468.	109643	521.	110720	574.	111987	627.	113380
416.	108119	469.	109702	522.	110735	575.	112001	628.	113403
417.	108141	470.	109706	523.	110746	576.	112023	629.	113423
418.	108165	471.	109747	524.	110819	577.	112061	630.	113453
419.	108193	472.	109775	525.	110834	578.	112085	631.	113515
420.	108263	473.	109817	526.	110858	579.	112128	632.	113548
421.	108269	474.	109823	527.	110859	580.	112303	633.	113573
422.	108369	475.	109859	528.	110879	581.	112321	634.	113578
423.	108378	476.	109871	529.	110886	582.	112322	635.	113588
424.	108411	477.	109893	530.	110903	583.	112332	636.	113618
425.	108457	478.	109898	531.	110920	584.	112359	637.	113657
426.	108466	479.	109906	532.	110937	585.	112378	638.	113658
427.	108594	480.	109947	533.	110950	586.	112443	639.	113731
428.	108609	481.	109948	534.	110955	587.	112455	640.	113768
429.	108617	482.	109955	535.	110984	588.	112484	641.	113777
430.	108619	483.	109968	536.	111053	589.	112517	642.	113795
431.	108636	484.	109978	537.	111077	590.	112520	643.	113807
432.	108645	485.	109990	538.	111110	591.	112554	644.	113823
433.	108658	486.	110022	539.	111123	592.	112561	645.	113844
434.	108737	487.	110029	540.	111137	593.	112597	646.	113856
435.	108780	488.	110041	541.	111148	594.	112602	647.	113871
436.	108792	489.	110064	542.	111167	595.	112613	648.	113886
437.	108793	490.	110076	543.	111174	596.	112618	649.	113960
438.	108798	491.	110118	544.	111206	597.	112636	650.	113962

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
651.	113964	704.	115026	757.	116131	810.	117439	863.	118759
652.	113985	705.	115042	758.	116223	811.	117501	864.	118764
653.	113996	706.	115043	759.	116232	812.	117524	865.	118771
654.	114005	707.	115068	760.	116239	813.	117556	866.	118778
655.	114016	708.	115072	761.	116269	814.	117609	867.	118780
656.	114037	709.	115086	762.	116280	815.	117615	868.	118799
657.	114058	710.	115133	763.	116336	816.	117659	869.	118805
658.	114060	711.	115139	764.	116384	817.	117711	870.	118881
659.	114064	712.	115158	765.	116400	818.	117808	871.	118893
660.	114091	713.	115197	766.	116410	819.	117812	872.	118936
661.	114117	714.	115204	767.	116411	820.	117821	873.	118945
662.	114142	715.	115205	768.	116427	821.	117928	874.	118949
663.	114152	716.	115242	769.	116439	822.	117933	875.	119016
664.	114155	717.	115257	770.	116461	823.	117949	876.	119017
665.	114194	718.	115336	771.	116471	824.	117973	877.	119030
666.	114263	719.	115362	772.	116493	825.	117977	878.	119078
667.	114267	720.	115384	773.	116497	826.	118025	879.	119090
668.	114305	721.	115391	774.	116555	827.	118026	880.	119184
669.	114310	722.	115434	775.	116560	828.	118096	881.	119187
670.	114317	723.	115474	776.	116582	829.	118108	882.	119231
671.	114375	724.	115477	777.	116620	830.	118129	883.	119250
672.	114387	725.	115499	778.	116642	831.	118139	884.	119258
673.	114412	726.	115510	779.	116664	832.	118188	885.	119281
674.	114451	727.	115535	780.	116690	833.	118248	886.	119319
675.	114452	728.	115546	781.	116761	834.	118259	887.	119340
676.	114493	729.	115581	782.	116769	835.	118263	888.	119366
677.	114495	730.	115582	783.	116831	836.	118280	889.	119370
678.	114514	731.	115622	784.	116843	837.	118303	890.	119371
679.	114521	732.	115671	785.	116859	838.	118317	891.	119424
680.	114542	733.	115673	786.	116873	839.	118319	892.	119554
681.	114559	734.	115677	787.	116935	840.	118365	893.	119565
682.	114561	735.	115682	788.	116943	841.	118433	894.	119575
683.	114566	736.	115729	789.	116947	842.	118443	895.	119594
684.	114571	737.	115730	790.	116981	843.	118472	896.	119604
685.	114584	738.	115732	791.	116999	844.	118479	897.	119613
686.	114593	739.	115751	792.	117021	845.	118504	898.	119631
687.	114598	740.	115759	793.	117046	846.	118562	899.	119657
688.	114600	741.	115795	794.	117053	847.	118578	900.	119663
689.	114641	742.	115811	795.	117082	848.	118580	901.	119689
690.	114687	743.	115833	796.	117086	849.	118586	902.	119693
691.	114713	744.	115846	797.	117189	850.	118588	903.	119711
692.	114719	745.	115914	798.	117248	851.	118596	904.	119721
693.	114727	746.	115921	799.	117267	852.	118616	905.	119805
694.	114836	747.	115926	800.	117305	853.	118623	906.	119822
695.	114840	748.	115946	801.	117329	854.	118631	907.	119835
696.	114865	749.	115983	802.	117330	855.	118646	908.	119837
697.	114870	750.	115986	803.	117332	856.	118663	909.	119838
698.	114880	751.	116011	804.	117340	857.	118668	910.	119851
699.	114887	752.	116037	805.	117376	858.	118713	911.	119884
700.	114972	753.	116054	806.	117389	859.	118720	912.	119915
701.	114993	754.	116083	807.	117392	860.	118725	913.	119937
702.	114996	755.	116125	808.	117409	861.	118733	914.	120012
703.	115015	756.	116127	809.	117438	862.	118740	915.	120048

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
916.	120056	969.	121475	1022.	122994	1075.	124440	1128.	125585
917.	120070	970.	121496	1023.	123013	1076.	124445	1129.	125591
918.	120120	971.	121525	1024.	123029	1077.	124458	1130.	125603
919.	120135	972.	121568	1025.	123033	1078.	124510	1131.	125622
920.	120148	973.	121581	1026.	123104	1079.	124518	1132.	125623
921.	120193	974.	121607	1027.	123158	1080.	124561	1133.	125643
922.	120206	975.	121627	1028.	123242	1081.	124565	1134.	125684
923.	120224	976.	121649	1029.	123254	1082.	124592	1135.	125720
924.	120256	977.	121700	1030.	123311	1083.	124623	1136.	125724
925.	120269	978.	121706	1031.	123320	1084.	124628	1137.	125757
926.	120284	979.	121757	1032.	123443	1085.	124641	1138.	125758
927.	120306	980.	121763	1033.	123493	1086.	124649	1139.	125778
928.	120311	981.	121795	1034.	123521	1087.	124653	1140.	125784
929.	120357	982.	121821	1035.	123537	1088.	124657	1141.	125799
930.	120405	983.	121850	1036.	123559	1089.	124675	1142.	125803
931.	120421	984.	121867	1037.	123577	1090.	124725	1143.	125805
932.	120450	985.	121898	1038.	123593	1091.	124737	1144.	125865
933.	120456	986.	121928	1039.	123596	1092.	124744	1145.	125871
934.	120471	987.	121937	1040.	123601	1093.	124761	1146.	125877
935.	120504	988.	121975	1041.	123616	1094.	124810	1147.	125882
936.	120514	989.	122086	1042.	123618	1095.	124813	1148.	125964
937.	120519	990.	122105	1043.	123622	1096.	124833	1149.	125981
938.	120558	991.	122119	1044.	123625	1097.	124843	1150.	126052
939.	120571	992.	122132	1045.	123632	1098.	124866	1151.	126068
940.	120633	993.	122147	1046.	123666	1099.	124882	1152.	126072
941.	120696	994.	122154	1047.	123783	1100.	124931	1153.	126073
942.	120720	995.	122163	1048.	123791	1101.	124938	1154.	126083
943.	120774	996.	122215	1049.	123861	1102.	124962	1155.	126104
944.	120806	997.	122239	1050.	123878	1103.	124971	1156.	126175
945.	120821	998.	122249	1051.	123885	1104.	125004	1157.	126185
946.	120833	999.	122297	1052.	123957	1105.	125005	1158.	126220
947.	120837	1000.	122304	1053.	123986	1106.	125016	1159.	126228
948.	120838	1001.	122342	1054.	124069	1107.	125118	1160.	126230
949.	120904	1002.	122393	1055.	124075	1108.	125121	1161.	126246
950.	120915	1003.	122452	1056.	124132	1109.	125166	1162.	126266
951.	120929	1004.	122487	1057.	124150	1110.	125178	1163.	126301
952.	120997	1005.	122501	1058.	124153	1111.	125188	1164.	126323
953.	120999	1006.	122519	1059.	124197	1112.	125217	1165.	126351
954.	121064	1007.	122522	1060.	124224	1113.	125221	1166.	126384
955.	121065	1008.	122543	1061.	124228	1114.	125254	1167.	126430
956.	121094	1009.	122560	1062.	124234	1115.	125261	1168.	126433
957.	121120	1010.	122567	1063.	124252	1116.	125274	1169.	126487
958.	121137	1011.	122584	1064.	124255	1117.	125276	1170.	126537
959.	121158	1012.	122598	1065.	124264	1118.	125323	1171.	126595
960.	121189	1013.	122726	1066.	124275	1119.	125325	1172.	126612
961.	121223	1014.	122757	1067.	124333	1120.	125330	1173.	126638
962.	121252	1015.	122763	1068.	124349	1121.	125345	1174.	126648
963.	121264	1016.	122791	1069.	124352	1122.	125371	1175.	126660
964.	121311	1017.	122815	1070.	124359	1123.	125397	1176.	126671
965.	121326	1018.	122863	1071.	124371	1124.	125427	1177.	126697
966.	121332	1019.	122886	1072.	124403	1125.	125482	1178.	126702
967.	121419	1020.	122933	1073.	124432	1126.	125576	1179.	126703
968.	121438	1021.	122971	1074.	124435	1127.	125584	1180.	126709

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1181.	126807	1234.	128107	1287.	130206	1340.	132908	1393.	136107
1182.	126819	1235.	128143	1288.	130211	1341.	132920	1394.	136136
1183.	126831	1236.	128144	1289.	130227	1342.	132944	1395.	136199
1184.	126847	1237.	128163	1290.	130238	1343.	133068	1396.	136280
1185.	126858	1238.	128170	1291.	130271	1344.	133083	1397.	136335
1186.	126996	1239.	128226	1292.	130289	1345.	133225	1398.	136528
1187.	127072	1240.	128232	1293.	130326	1346.	133241	1399.	136620
1188.	127092	1241.	128302	1294.	130336	1347.	133501	1400.	136624
1189.	127127	1242.	128311	1295.	130395	1348.	133562	1401.	136650
1190.	127128	1243.	128320	1296.	130431	1349.	133603	1402.	136764
1191.	127134	1244.	128400	1297.	130651	1350.	133662	1403.	136793
1192.	127140	1245.	128418	1298.	130732	1351.	133747	1404.	136794
1193.	127151	1246.	128450	1299.	130786	1352.	133799	1405.	136859
1194.	127162	1247.	128503	1300.	130934	1353.	133835	1406.	136962
1195.	127173	1248.	128512	1301.	131006	1354.	133874	1407.	136973
1196.	127229	1249.	128639	1302.	131043	1355.	133877	1408.	137097
1197.	127245	1250.	128641	1303.	131060	1356.	134033	1409.	137137
1198.	127250	1251.	128646	1304.	131133	1357.	134037	1410.	137244
1199.	127251	1252.	128674	1305.	131139	1358.	134171	1411.	137253
1200.	127254	1253.	128707	1306.	131150	1359.	134257	1412.	137339
1201.	127269	1254.	128720	1307.	131173	1360.	134292	1413.	137341
1202.	127274	1255.	128731	1308.	131175	1361.	134321	1414.	137372
1203.	127302	1256.	128735	1309.	131263	1362.	134344	1415.	137398
1204.	127303	1257.	128796	1310.	131327	1363.	134381	1416.	137437
1205.	127328	1258.	128842	1311.	131349	1364.	134406	1417.	137452
1206.	127335	1259.	128921	1312.	131428	1365.	134418	1418.	137515
1207.	127386	1260.	128935	1313.	131567	1366.	134504	1419.	137522
1208.	127413	1261.	128941	1314.	131608	1367.	134568	1420.	137586
1209.	127422	1262.	128982	1315.	131613	1368.	134605	1421.	137601
1210.	127440	1263.	129040	1316.	131670	1369.	134620	1422.	137620
1211.	127441	1264.	129046	1317.	131697	1370.	134748	1423.	137643
1212.	127443	1265.	129060	1318.	131859	1371.	134907	1424.	137696
1213.	127484	1266.	129086	1319.	131886	1372.	134924	1425.	137746
1214.	127532	1267.	129122	1320.	131919	1373.	134980	1426.	137759
1215.	127551	1268.	129144	1321.	131980	1374.	135091	1427.	137769
1216.	127563	1269.	129159	1322.	131989	1375.	135110	1428.	137827
1217.	127578	1270.	129173	1323.	132065	1376.	135113	1429.	137832
1218.	127588	1271.	129199	1324.	132148	1377.	135151	1430.	137968
1219.	127603	1272.	129258	1325.	132188	1378.	135395	1431.	138015
1220.	127657	1273.	129348	1326.	132215	1379.	135416	1432.	138046
1221.	127663	1274.	129476	1327.	132287	1380.	135439	1433.	138178
1222.	127676	1275.	129479	1328.	132329	1381.	135581	1434.	138230
1223.	127693	1276.	129480	1329.	132393	1382.	135620	1435.	138256
1224.	127710	1277.	129503	1330.	132562	1383.	135760	1436.	138345
1225.	127802	1278.	129616	1331.	132568	1384.	135880	1437.	138397
1226.	127842	1279.	129676	1332.	132725	1385.	135903	1438.	138431
1227.	127848	1280.	129723	1333.	132748	1386.	135944	1439.	138441
1228.	127868	1281.	129790	1334.	132772	1387.	135953	1440.	138540
1229.	127887	1282.	129830	1335.	132815	1388.	135981	1441.	138543
1230.	127902	1283.	129831	1336.	132835	1389.	135992	1442.	138596
1231.	127958	1284.	129870	1337.	132855	1390.	136012	1443.	138678
1232.	127963	1285.	130018	1338.	132880	1391.	136022	1444.	138722
1233.	128012	1286.	130097	1339.	132907	1392.	136092	1445.	138739

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1446.	138745	1499.	141207	1552.	143263	1605.	145823	1658.	147885
1447.	138834	1500.	141254	1553.	143321	1606.	145882	1659.	147917
1448.	138955	1501.	141291	1554.	143339	1607.	145983	1660.	147977
1449.	139049	1502.	141293	1555.	143359	1608.	146010	1661.	148057
1450.	139084	1503.	141345	1556.	143381	1609.	146058	1662.	148059
1451.	139100	1504.	141385	1557.	143410	1610.	146096	1663.	148105
1452.	139156	1505.	141401	1558.	143567	1611.	146116	1664.	148171
1453.	139167	1506.	141410	1559.	143584	1612.	146198	1665.	148180
1454.	139441	1507.	141457	1560.	143591	1613.	146204	1666.	148210
1455.	139518	1508.	141477	1561.	143649	1614.	146205	1667.	148262
1456.	139536	1509.	141485	1562.	143693	1615.	146243	1668.	148278
1457.	139561	1510.	141511	1563.	143725	1616.	146330	1669.	148302
1458.	139586	1511.	141601	1564.	143762	1617.	146380	1670.	148338
1459.	139590	1512.	141606	1565.	143792	1618.	146498	1671.	148359
1460.	139650	1513.	141641	1566.	143820	1619.	146520	1672.	148367
1461.	139665	1514.	141663	1567.	143847	1620.	146544	1673.	148392
1462.	139746	1515.	141672	1568.	144096	1621.	146697	1674.	148413
1463.	139765	1516.	141844	1569.	144153	1622.	146700	1675.	148441
1464.	139793	1517.	141845	1570.	144158	1623.	146721	1676.	148455
1465.	139820	1518.	141899	1571.	144355	1624.	146743	1677.	148481
1466.	139826	1519.	141900	1572.	144390	1625.	146767	1678.	148487
1467.	139869	1520.	141955	1573.	144397	1626.	146828	1679.	148521
1468.	139901	1521.	142023	1574.	144462	1627.	146861	1680.	148535
1469.	139911	1522.	142064	1575.	144598	1628.	146915	1681.	148570
1470.	139945	1523.	142094	1576.	144613	1629.	146990	1682.	148571
1471.	139981	1524.	142123	1577.	144629	1630.	147032	1683.	148689
1472.	140004	1525.	142142	1578.	144667	1631.	147068	1684.	148713
1473.	140071	1526.	142170	1579.	144700	1632.	147117	1685.	148768
1474.	140090	1527.	142192	1580.	144726	1633.	147209	1686.	148774
1475.	140243	1528.	142229	1581.	144742	1634.	147305	1687.	148883
1476.	140273	1529.	142262	1582.	144757	1635.	147315	1688.	148894
1477.	140386	1530.	142271	1583.	144841	1636.	147318	1689.	148923
1478.	140414	1531.	142272	1584.	144987	1637.	147458	1690.	148939
1479.	140461	1532.	142314	1585.	145087	1638.	147468	1691.	148980
1480.	140505	1533.	142389	1586.	145093	1639.	147482	1692.	149083
1481.	140524	1534.	142411	1587.	145180	1640.	147495	1693.	149136
1482.	140534	1535.	142514	1588.	145206	1641.	147505	1694.	149260
1483.	140563	1536.	142560	1589.	145269	1642.	147510	1695.	149261
1484.	140623	1537.	142589	1590.	145285	1643.	147531	1696.	149266
1485.	140657	1538.	142619	1591.	145306	1644.	147593	1697.	149322
1486.	140659	1539.	142681	1592.	145333	1645.	147601	1698.	149418
1487.	140711	1540.	142705	1593.	145336	1646.	147623	1699.	149491
1488.	140727	1541.	142758	1594.	145362	1647.	147643	1700.	149564
1489.	140771	1542.	142768	1595.	145363	1648.	147652	1701.	149584
1490.	140779	1543.	142775	1596.	145391	1649.	147659	1702.	149734
1491.	140813	1544.	142812	1597.	145422	1650.	147679	1703.	149785
1492.	140836	1545.	142826	1598.	145426	1651.	147690	1704.	149800
1493.	141007	1546.	142889	1599.	145439	1652.	147767	1705.	149851
1494.	141014	1547.	142967	1600.	145569	1653.	147814	1706.	149872
1495.	141022	1548.	142977	1601.	145616	1654.	147840	1707.	150073
1496.	141032	1549.	143061	1602.	145651	1655.	147844	1708.	150087
1497.	141121	1550.	143205	1603.	145799	1656.	147866	1709.	150191
1498.	141167	1551.	143248	1604.	145813	1657.	147880	1710.	150265

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1711.	150302	1764.	152568	1817.	155404	1870.	157059	1923.	159658
1712.	150310	1765.	152674	1818.	155429	1871.	157135	1924.	159686
1713.	150323	1766.	152784	1819.	155568	1872.	157136	1925.	159732
1714.	150517	1767.	152855	1820.	155579	1873.	157185	1926.	159883
1715.	150558	1768.	152889	1821.	155603	1874.	157190	1927.	159947
1716.	150641	1769.	152908	1822.	155611	1875.	157273	1928.	159966
1717.	150651	1770.	152952	1823.	155620	1876.	157317	1929.	159971
1718.	150687	1771.	152985	1824.	155646	1877.	157379	1930.	159977
1719.	150690	1772.	153101	1825.	155650	1878.	157382	1931.	160063
1720.	150725	1773.	153312	1826.	155656	1879.	157482	1932.	160088
1721.	150750	1774.	153388	1827.	155688	1880.	157551	1933.	160095
1722.	150771	1775.	153417	1828.	155712	1881.	157568	1934.	160118
1723.	150891	1776.	153456	1829.	155716	1882.	157665	1935.	160124
1724.	150905	1777.	153508	1830.	155719	1883.	157725	1936.	160182
1725.	150916	1778.	153669	1831.	155740	1884.	157772	1937.	160201
1726.	150925	1779.	153680	1832.	155847	1885.	157782	1938.	160301
1727.	150999	1780.	153746	1833.	155850	1886.	157787	1939.	160303
1728.	151019	1781.	153753	1834.	155925	1887.	157795	1940.	160318
1729.	151021	1782.	153801	1835.	155957	1888.	157879	1941.	160340
1730.	151094	1783.	153964	1836.	155962	1889.	157881	1942.	160351
1731.	151108	1784.	153980	1837.	155985	1890.	158070	1943.	160355
1732.	151125	1785.	154080	1838.	156002	1891.	158094	1944.	160393
1733.	151157	1786.	154098	1839.	156094	1892.	158113	1945.	160397
1734.	151196	1787.	154135	1840.	156112	1893.	158232	1946.	160402
1735.	151197	1788.	154144	1841.	156137	1894.	158269	1947.	160418
1736.	151238	1789.	154234	1842.	156195	1895.	158313	1948.	160509
1737.	151244	1790.	154245	1843.	156232	1896.	158337	1949.	160545
1738.	151266	1791.	154344	1844.	156332	1897.	158425	1950.	160590
1739.	151364	1792.	154380	1845.	156367	1898.	158450	1951.	160673
1740.	151443	1793.	154396	1846.	156391	1899.	158473	1952.	160698
1741.	151474	1794.	154446	1847.	156404	1900.	158507	1953.	160701
1742.	151634	1795.	154502	1848.	156491	1901.	158513	1954.	160710
1743.	151668	1796.	154547	1849.	156509	1902.	158547	1955.	160758
1744.	151701	1797.	154593	1850.	156522	1903.	158570	1956.	160769
1745.	151753	1798.	154632	1851.	156572	1904.	158619	1957.	160777
1746.	151770	1799.	154637	1852.	156604	1905.	158676	1958.	160809
1747.	151771	1800.	154665	1853.	156611	1906.	158734	1959.	160836
1748.	151813	1801.	154730	1854.	156616	1907.	158748	1960.	160883
1749.	151854	1802.	154742	1855.	156617	1908.	158752	1961.	160893
1750.	151856	1803.	154771	1856.	156620	1909.	158754	1962.	160927
1751.	151862	1804.	154916	1857.	156648	1910.	158758	1963.	160972
1752.	151941	1805.	154917	1858.	156664	1911.	158905	1964.	161037
1753.	151958	1806.	154999	1859.	156711	1912.	159338	1965.	161104
1754.	151962	1807.	155012	1860.	156770	1913.	159358	1966.	161155
1755.	152075	1808.	155014	1861.	156773	1914.	159385	1967.	161159
1756.	152107	1809.	155029	1862.	156826	1915.	159399	1968.	161219
1757.	152109	1810.	155063	1863.	156832	1916.	159414	1969.	161256
1758.	152124	1811.	155121	1864.	156911	1917.	159472	1970.	161275
1759.	152190	1812.	155160	1865.	156962	1918.	159538	1971.	161299
1760.	152197	1813.	155248	1866.	156976	1919.	159562	1972.	161339
1761.	152370	1814.	155262	1867.	156982	1920.	159571	1973.	161375
1762.	152379	1815.	155315	1868.	156999	1921.	159596	1974.	161383
1763.	152403	1816.	155396	1869.	157032	1922.	159602	1975.	161402

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1976.	161410	2029.	163169	2082.	165605	2135.	168293	2188.	171820
1977.	161431	2030.	163177	2083.	165649	2136.	168440	2189.	171893
1978.	161458	2031.	163195	2084.	165665	2137.	168469	2190.	171943
1979.	161521	2032.	163201	2085.	165720	2138.	168682	2191.	172042
1980.	161534	2033.	163202	2086.	165784	2139.	168697	2192.	172068
1981.	161720	2034.	163260	2087.	165796	2140.	168759	2193.	172095
1982.	161766	2035.	163279	2088.	165817	2141.	168825	2194.	172180
1983.	161771	2036.	163352	2089.	166009	2142.	168962	2195.	172245
1984.	161774	2037.	163387	2090.	166163	2143.	168975	2196.	172354
1985.	161787	2038.	163392	2091.	166181	2144.	169041	2197.	172402
1986.	161798	2039.	163459	2092.	166235	2145.	169078	2198.	172584
1987.	161841	2040.	163490	2093.	166365	2146.	169110	2199.	172621
1988.	161846	2041.	163494	2094.	166450	2147.	169156	2200.	172696
1989.	161853	2042.	163508	2095.	166460	2148.	169158	2201.	172701
1990.	161872	2043.	163528	2096.	166519	2149.	169161	2202.	172718
1991.	161910	2044.	163534	2097.	166619	2150.	169177	2203.	172740
1992.	161916	2045.	163537	2098.	166649	2151.	169235	2204.	172854
1993.	161957	2046.	163571	2099.	166691	2152.	169237	2205.	172868
1994.	161973	2047.	163620	2100.	166701	2153.	169391	2206.	172895
1995.	161998	2048.	163683	2101.	166715	2154.	169477	2207.	172912
1996.	162065	2049.	163757	2102.	166775	2155.	169484	2208.	172929
1997.	162098	2050.	163853	2103.	166873	2156.	169570	2209.	172937
1998.	162243	2051.	164065	2104.	166905	2157.	169631	2210.	172940
1999.	162273	2052.	164141	2105.	167002	2158.	169678	2211.	172954
2000.	162288	2053.	164150	2106.	167018	2159.	169830	2212.	172980
2001.	162296	2054.	164187	2107.	167063	2160.	169875	2213.	172994
2002.	162299	2055.	164190	2108.	167072	2161.	169913	2214.	173027
2003.	162324	2056.	164235	2109.	167087	2162.	169926	2215.	173042
2004.	162385	2057.	164243	2110.	167237	2163.	170128	2216.	173062
2005.	162430	2058.	164288	2111.	167269	2164.	170132	2217.	173083
2006.	162473	2059.	164419	2112.	167281	2165.	170203	2218.	173108
2007.	162504	2060.	164478	2113.	167351	2166.	170217	2219.	173115
2008.	162562	2061.	164537	2114.	167374	2167.	170267	2220.	173168
2009.	162617	2062.	164588	2115.	167395	2168.	170314	2221.	173182
2010.	162630	2063.	164597	2116.	167424	2169.	170322	2222.	173198
2011.	162699	2064.	164624	2117.	167494	2170.	170365	2223.	173224
2012.	162752	2065.	164700	2118.	167525	2171.	170418	2224.	173275
2013.	162754	2066.	164730	2119.	167569	2172.	170489	2225.	173340
2014.	162788	2067.	164921	2120.	167596	2173.	170576	2226.	173342
2015.	162793	2068.	165012	2121.	167694	2174.	170593	2227.	173356
2016.	162865	2069.	165080	2122.	167710	2175.	170699	2228.	173432
2017.	162881	2070.	165102	2123.	167724	2176.	170759	2229.	173434
2018.	162915	2071.	165224	2124.	167793	2177.	170906	2230.	173441
2019.	162926	2072.	165234	2125.	167842	2178.	171024	2231.	173456
2020.	162927	2073.	165247	2126.	167981	2179.	171035	2232.	173458
2021.	162972	2074.	165248	2127.	168093	2180.	171133	2233.	173459
2022.	162976	2075.	165270	2128.	168096	2181.	171217	2234.	173514
2023.	162983	2076.	165273	2129.	168126	2182.	171305	2235.	173519
2024.	162988	2077.	165331	2130.	168138	2183.	171525	2236.	173527
2025.	163057	2078.	165336	2131.	168147	2184.	171707	2237.	173545
2026.	163086	2079.	165549	2132.	168162	2185.	171748	2238.	173630
2027.	163112	2080.	165577	2133.	168237	2186.	171755	2239.	173684
2028.	163120	2081.	165591	2134.	168272	2187.	171807	2240.	173708

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2241.	173747	2294.	175757	2347.	178110	2400.	180778	2453.	182844
2242.	173787	2295.	175760	2348.	178249	2401.	180922	2454.	182989
2243.	173823	2296.	175777	2349.	178355	2402.	180945	2455.	183086
2244.	173838	2297.	175802	2350.	178443	2403.	180961	2456.	183102
2245.	173840	2298.	175871	2351.	178568	2404.	180971	2457.	183134
2246.	173892	2299.	175908	2352.	178579	2405.	180973	2458.	183154
2247.	173898	2300.	175952	2353.	178627	2406.	180985	2459.	183267
2248.	173912	2301.	176012	2354.	178732	2407.	181010	2460.	183385
2249.	174008	2302.	176026	2355.	178824	2408.	181124	2461.	183389
2250.	174016	2303.	176087	2356.	178852	2409.	181125	2462.	183406
2251.	174089	2304.	176125	2357.	178864	2410.	181140	2463.	183425
2252.	174120	2305.	176164	2358.	179070	2411.	181153	2464.	183531
2253.	174130	2306.	176165	2359.	179143	2412.	181269	2465.	183559
2254.	174224	2307.	176190	2360.	179163	2413.	181271	2466.	183607
2255.	174249	2308.	176307	2361.	179207	2414.	181307	2467.	183636
2256.	174338	2309.	176559	2362.	179240	2415.	181313	2468.	183637
2257.	174384	2310.	176627	2363.	179328	2416.	181322	2469.	183653
2258.	174406	2311.	176737	2364.	179359	2417.	181343	2470.	183685
2259.	174479	2312.	176749	2365.	179394	2418.	181381	2471.	183878
2260.	174532	2313.	176750	2366.	179432	2419.	181398	2472.	183945
2261.	174566	2314.	176768	2367.	179470	2420.	181418	2473.	183954
2262.	174600	2315.	176771	2368.	179471	2421.	181491	2474.	184052
2263.	174606	2316.	176798	2369.	179554	2422.	181494	2475.	184064
2264.	174652	2317.	176820	2370.	179566	2423.	181503	2476.	184065
2265.	174663	2318.	176837	2371.	179575	2424.	181510	2477.	184159
2266.	174750	2319.	176967	2372.	179625	2425.	181564	2478.	184186
2267.	174784	2320.	176996	2373.	179638	2426.	181585	2479.	184274
2268.	174810	2321.	177000	2374.	179661	2427.	181593	2480.	184280
2269.	174900	2322.	177011	2375.	179811	2428.	181597	2481.	184436
2270.	174923	2323.	177032	2376.	179855	2429.	181618	2482.	184547
2271.	174925	2324.	177111	2377.	179886	2430.	181759	2483.	184555
2272.	174930	2325.	177140	2378.	179888	2431.	181762	2484.	184605
2273.	174954	2326.	177221	2379.	179916	2432.	181818	2485.	184643
2274.	174970	2327.	177228	2380.	179925	2433.	181851	2486.	184725
2275.	174992	2328.	177412	2381.	179947	2434.	181888	2487.	184743
2276.	175038	2329.	177539	2382.	179949	2435.	182022	2488.	184767
2277.	175113	2330.	177556	2383.	180062	2436.	182096	2489.	184843
2278.	175151	2331.	177580	2384.	180065	2437.	182141	2490.	184872
2279.	175183	2332.	177610	2385.	180230	2438.	182159	2491.	184874
2280.	175191	2333.	177621	2386.	180358	2439.	182184	2492.	184890
2281.	175278	2334.	177719	2387.	180409	2440.	182328	2493.	184923
2282.	175285	2335.	177803	2388.	180450	2441.	182335	2494.	184985
2283.	175292	2336.	177823	2389.	180555	2442.	182421	2495.	184989
2284.	175296	2337.	177841	2390.	180562	2443.	182449	2496.	185157
2285.	175305	2338.	177900	2391.	180563	2444.	182455	2497.	185160
2286.	175377	2339.	177923	2392.	180605	2445.	182496	2498.	185166
2287.	175453	2340.	177976	2393.	180612	2446.	182531	2499.	185215
2288.	175466	2341.	177978	2394.	180651	2447.	182552	2500.	185240
2289.	175521	2342.	177990	2395.	180658	2448.	182553	2501.	185283
2290.	175543	2343.	177999	2396.	180663	2449.	182610	2502.	185300
2291.	175546	2344.	178064	2397.	180664	2450.	182738	2503.	185391
2292.	175557	2345.	178076	2398.	180693	2451.	182751	2504.	185392
2293.	175694	2346.	178085	2399.	180706	2452.	182758	2505.	185462

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2506.	185502	2559.	188108	2612.	191242	2665.	194005	2718.	197023
2507.	185570	2560.	188222	2613.	191295	2666.	194063	2719.	197189
2508.	185575	2561.	188247	2614.	191391	2667.	194187	2720.	197230
2509.	185743	2562.	188248	2615.	191438	2668.	194196	2721.	197265
2510.	185762	2563.	188260	2616.	191540	2669.	194297	2722.	197303
2511.	185823	2564.	188285	2617.	191542	2670.	194366	2723.	197333
2512.	185917	2565.	188323	2618.	191557	2671.	194434	2724.	197334
2513.	186019	2566.	188449	2619.	191603	2672.	194448	2725.	197361
2514.	186038	2567.	188618	2620.	191701	2673.	194544	2726.	197378
2515.	186071	2568.	188637	2621.	191706	2674.	194778	2727.	197405
2516.	186100	2569.	188644	2622.	191745	2675.	194967	2728.	197544
2517.	186153	2570.	188681	2623.	191747	2676.	195014	2729.	197727
2518.	186165	2571.	188687	2624.	191929	2677.	195144	2730.	197841
2519.	186284	2572.	188762	2625.	191935	2678.	195206	2731.	197901
2520.	186375	2573.	188847	2626.	192023	2679.	195208	2732.	197938
2521.	186419	2574.	188877	2627.	192029	2680.	195235	2733.	198116
2522.	186429	2575.	188946	2628.	192070	2681.	195248	2734.	198133
2523.	186480	2576.	188981	2629.	192123	2682.	195278	2735.	198140
2524.	186610	2577.	189073	2630.	192129	2683.	195284	2736.	198161
2525.	186646	2578.	189170	2631.	192161	2684.	195326	2737.	198217
2526.	186669	2579.	189333	2632.	192173	2685.	195367	2738.	198218
2527.	186706	2580.	189363	2633.	192312	2686.	195480	2739.	198301
2528.	186764	2581.	189464	2634.	192442	2687.	195493	2740.	198360
2529.	186778	2582.	189515	2635.	192454	2688.	195502	2741.	198421
2530.	186785	2583.	189588	2636.	192482	2689.	195547	2742.	198464
2531.	186827	2584.	189636	2637.	192506	2690.	195553	2743.	198494
2532.	186905	2585.	189658	2638.	192594	2691.	195652	2744.	198550
2533.	186908	2586.	189683	2639.	192606	2692.	195658	2745.	198567
2534.	186909	2587.	189779	2640.	192624	2693.	195722	2746.	198628
2535.	186943	2588.	189807	2641.	192663	2694.	195783	2747.	198707
2536.	187024	2589.	189882	2642.	192670	2695.	195901	2748.	198724
2537.	187132	2590.	189966	2643.	192766	2696.	195919	2749.	198732
2538.	187205	2591.	190091	2644.	192817	2697.	195925	2750.	198740
2539.	187239	2592.	190095	2645.	192887	2698.	195935	2751.	198875
2540.	187244	2593.	190225	2646.	193036	2699.	195984	2752.	198961
2541.	187273	2594.	190241	2647.	193064	2700.	195988	2753.	199035
2542.	187323	2595.	190263	2648.	193091	2701.	196070	2754.	199101
2543.	187386	2596.	190572	2649.	193135	2702.	196072	2755.	199104
2544.	187408	2597.	190576	2650.	193250	2703.	196081	2756.	199117
2545.	187470	2598.	190616	2651.	193268	2704.	196172	2757.	199162
2546.	187504	2599.	190625	2652.	193316	2705.	196184	2758.	199187
2547.	187525	2600.	190634	2653.	193331	2706.	196186	2759.	199197
2548.	187647	2601.	190714	2654.	193356	2707.	196201	2760.	199315
2549.	187707	2602.	190851	2655.	193533	2708.	196203	2761.	199370
2550.	187725	2603.	190894	2656.	193541	2709.	196207	2762.	199377
2551.	187810	2604.	190923	2657.	193554	2710.	196214	2763.	199389
2552.	187844	2605.	190988	2658.	193563	2711.	196309	2764.	199570
2553.	187872	2606.	191029	2659.	193729	2712.	196358	2765.	199615
2554.	187893	2607.	191045	2660.	193758	2713.	196386	2766.	199618
2555.	187932	2608.	191134	2661.	193829	2714.	196394	2767.	199638
2556.	187965	2609.	191139	2662.	193915	2715.	196478	2768.	199660
2557.	187985	2610.	191144	2663.	193965	2716.	196504	2769.	199882
2558.	188063	2611.	191161	2664.	193984	2717.	196600	2770.	199888

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2771.	199947	2824.	203883	2877.	206667	2930.	209319	2983.	211794
2772.	200001	2825.	204094	2878.	206674	2931.	209399	2984.	211896
2773.	200007	2826.	204275	2879.	206786	2932.	209426	2985.	211921
2774.	200087	2827.	204277	2880.	206851	2933.	209476	2986.	211980
2775.	200134	2828.	204317	2881.	206886	2934.	209527	2987.	212147
2776.	200175	2829.	204347	2882.	206909	2935.	209604	2988.	212153
2777.	200263	2830.	204371	2883.	206925	2936.	209610	2989.	212360
2778.	200279	2831.	204379	2884.	206965	2937.	209643	2990.	212394
2779.	200300	2832.	204382	2885.	206980	2938.	209665	2991.	212395
2780.	200366	2833.	204628	2886.	206995	2939.	209689	2992.	212596
2781.	200415	2834.	204645	2887.	207163	2940.	209695	2993.	212657
2782.	200818	2835.	204754	2888.	207180	2941.	209934	2994.	212670
2783.	200852	2836.	204768	2889.	207334	2942.	209951	2995.	212705
2784.	200991	2837.	204988	2890.	207340	2943.	210037	2996.	212731
2785.	201072	2838.	205051	2891.	207376	2944.	210071	2997.	212754
2786.	201144	2839.	205067	2892.	207388	2945.	210079	2998.	212769
2787.	201234	2840.	205087	2893.	207389	2946.	210080	2999.	212833
2788.	201299	2841.	205217	2894.	207481	2947.	210085	3000.	212899
2789.	201406	2842.	205300	2895.	207504	2948.	210091	3001.	212921
2790.	201613	2843.	205592	2896.	207563	2949.	210137	3002.	212926
2791.	201702	2844.	205610	2897.	207597	2950.	210172	3003.	213011
2792.	201772	2845.	205699	2898.	207614	2951.	210198	3004.	213040
2793.	201783	2846.	205735	2899.	207631	2952.	210225	3005.	213124
2794.	201826	2847.	205758	2900.	207632	2953.	210272	3006.	213125
2795.	201850	2848.	205792	2901.	207695	2954.	210289	3007.	213135
2796.	201884	2849.	205794	2902.	207715	2955.	210291	3008.	213140
2797.	201906	2850.	205826	2903.	207717	2956.	210305	3009.	213178
2798.	201977	2851.	205841	2904.	207732	2957.	210306	3010.	213179
2799.	202017	2852.	205904	2905.	207771	2958.	210369	3011.	213187
2800.	202037	2853.	205911	2906.	207805	2959.	210371	3012.	213192
2801.	202085	2854.	205950	2907.	207890	2960.	210373	3013.	213213
2802.	202144	2855.	205996	2908.	207956	2961.	210408	3014.	213231
2803.	202232	2856.	206008	2909.	208135	2962.	210449	3015.	213238
2804.	202305	2857.	206011	2910.	208211	2963.	210482	3016.	213258
2805.	202410	2858.	206031	2911.	208261	2964.	210585	3017.	213314
2806.	202495	2859.	206066	2912.	208322	2965.	210616	3018.	213441
2807.	202690	2860.	206086	2913.	208351	2966.	210676	3019.	213490
2808.	202886	2861.	206132	2914.	208375	2967.	210830	3020.	213493
2809.	203073	2862.	206157	2915.	208379	2968.	210862	3021.	213650
2810.	203096	2863.	206170	2916.	208433	2969.	210870	3022.	213662
2811.	203111	2864.	206185	2917.	208447	2970.	210893	3023.	213676
2812.	203138	2865.	206227	2918.	208490	2971.	210926	3024.	213706
2813.	203145	2866.	206237	2919.	208647	2972.	211043	3025.	213714
2814.	203253	2867.	206324	2920.	208735	2973.	211172	3026.	213715
2815.	203323	2868.	206361	2921.	208882	2974.	211194	3027.	213726
2816.	203356	2869.	206409	2922.	208958	2975.	211275	3028.	213900
2817.	203534	2870.	206512	2923.	208969	2976.	211342	3029.	213950
2818.	203550	2871.	206526	2924.	209020	2977.	211415	3030.	214007
2819.	203587	2872.	206552	2925.	209125	2978.	211454	3031.	214009
2820.	203654	2873.	206553	2926.	209163	2979.	211456	3032.	214050
2821.	203739	2874.	206581	2927.	209222	2980.	211594	3033.	214067
2822.	203877	2875.	206612	2928.	209255	2981.	211658	3034.	214181
2823.	203879	2876.	206654	2929.	209310	2982.	211752	3035.	214227

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3036.	214255	3089.	216999	3142.	219686	3195.	222099	3248.	224841
3037.	214318	3090.	217015	3143.	219847	3196.	222218	3249.	224862
3038.	214510	3091.	217016	3144.	219892	3197.	222269	3250.	224874
3039.	214517	3092.	217028	3145.	219922	3198.	222273	3251.	225091
3040.	214613	3093.	217040	3146.	220046	3199.	222327	3252.	225158
3041.	214656	3094.	217067	3147.	220071	3200.	222486	3253.	225232
3042.	214702	3095.	217121	3148.	220102	3201.	222510	3254.	225346
3043.	214798	3096.	217125	3149.	220187	3202.	222543	3255.	225360
3044.	214819	3097.	217182	3150.	220198	3203.	222591	3256.	225440
3045.	214857	3098.	217254	3151.	220222	3204.	222707	3257.	225538
3046.	214871	3099.	217288	3152.	220318	3205.	222830	3258.	225566
3047.	214885	3100.	217308	3153.	220326	3206.	222837	3259.	225622
3048.	214894	3101.	217345	3154.	220368	3207.	223071	3260.	225669
3049.	214902	3102.	217351	3155.	220536	3208.	223135	3261.	225706
3050.	214944	3103.	217444	3156.	220551	3209.	223147	3262.	225793
3051.	214974	3104.	217448	3157.	220718	3210.	223158	3263.	225812
3052.	215027	3105.	217457	3158.	220786	3211.	223174	3264.	225813
3053.	215197	3106.	217539	3159.	220797	3212.	223179	3265.	225886
3054.	215314	3107.	217576	3160.	220900	3213.	223207	3266.	226005
3055.	215349	3108.	217590	3161.	220937	3214.	223232	3267.	226048
3056.	215397	3109.	217642	3162.	221025	3215.	223244	3268.	226195
3057.	215430	3110.	217654	3163.	221056	3216.	223259	3269.	226198
3058.	215504	3111.	217660	3164.	221079	3217.	223265	3270.	226222
3059.	215692	3112.	217671	3165.	221109	3218.	223353	3271.	226333
3060.	216002	3113.	217682	3166.	221161	3219.	223370	3272.	226400
3061.	216026	3114.	217715	3167.	221183	3220.	223411	3273.	226461
3062.	216109	3115.	217768	3168.	221193	3221.	223468	3274.	226480
3063.	216144	3116.	217778	3169.	221209	3222.	223480	3275.	226499
3064.	216146	3117.	217786	3170.	221214	3223.	223633	3276.	226538
3065.	216197	3118.	217941	3171.	221223	3224.	223683	3277.	226546
3066.	216235	3119.	217946	3172.	221278	3225.	223716	3278.	226571
3067.	216266	3120.	218044	3173.	221314	3226.	223719	3279.	226755
3068.	216280	3121.	218088	3174.	221319	3227.	223754	3280.	226810
3069.	216374	3122.	218212	3175.	221440	3228.	223813	3281.	226908
3070.	216387	3123.	218279	3176.	221456	3229.	223877	3282.	226969
3071.	216412	3124.	218334	3177.	221468	3230.	223884	3283.	226991
3072.	216442	3125.	218487	3178.	221469	3231.	223905	3284.	227034
3073.	216458	3126.	218555	3179.	221537	3232.	223983	3285.	227039
3074.	216460	3127.	218576	3180.	221570	3233.	223990	3286.	227141
3075.	216511	3128.	218748	3181.	221577	3234.	224088	3287.	227159
3076.	216540	3129.	218764	3182.	221704	3235.	224227	3288.	227223
3077.	216608	3130.	218781	3183.	221798	3236.	224279	3289.	227245
3078.	216616	3131.	218793	3184.	221827	3237.	224315	3290.	227304
3079.	216621	3132.	218889	3185.	221833	3238.	224338	3291.	227390
3080.	216706	3133.	219059	3186.	221847	3239.	224431	3292.	227398
3081.	216722	3134.	219182	3187.	221895	3240.	224432	3293.	227404
3082.	216779	3135.	219235	3188.	221899	3241.	224450	3294.	227570
3083.	216814	3136.	219288	3189.	221911	3242.	224468	3295.	227582
3084.	216817	3137.	219371	3190.	221955	3243.	224514	3296.	227619
3085.	216828	3138.	219392	3191.	221998	3244.	224548	3297.	227672
3086.	216832	3139.	219490	3192.	222002	3245.	224693	3298.	227680
3087.	216906	3140.	219503	3193.	222019	3246.	224834	3299.	227727
3088.	216976	3141.	219601	3194.	222090	3247.	224837	3300.	227887

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3301.	227908	3354.	230782	3407.	234087	3460.	235869	3513.	238621
3302.	227913	3355.	230827	3408.	234255	3461.	235932	3514.	238628
3303.	227996	3356.	230844	3409.	234257	3462.	236122	3515.	238755
3304.	228167	3357.	231037	3410.	234260	3463.	236128	3516.	238806
3305.	228168	3358.	231042	3411.	234278	3464.	236130	3517.	238810
3306.	228191	3359.	231126	3412.	234284	3465.	236148	3518.	238826
3307.	228194	3360.	231127	3413.	234311	3466.	236269	3519.	238937
3308.	228237	3361.	231130	3414.	234318	3467.	236355	3520.	239025
3309.	228334	3362.	231132	3415.	234351	3468.	236373	3521.	239038
3310.	228397	3363.	231134	3416.	234390	3469.	236374	3522.	239220
3311.	228665	3364.	231282	3417.	234414	3470.	236379	3523.	239221
3312.	228678	3365.	231313	3418.	234443	3471.	236507	3524.	239227
3313.	228684	3366.	231554	3419.	234462	3472.	236607	3525.	239263
3314.	228756	3367.	231606	3420.	234483	3473.	236631	3526.	239323
3315.	228788	3368.	231695	3421.	234503	3474.	236684	3527.	239417
3316.	228891	3369.	231738	3422.	234529	3475.	236690	3528.	239419
3317.	229051	3370.	231810	3423.	234612	3476.	236727	3529.	239444
3318.	229066	3371.	231878	3424.	234625	3477.	236925	3530.	239537
3319.	229074	3372.	231925	3425.	234642	3478.	236935	3531.	239657
3320.	229092	3373.	231980	3426.	234673	3479.	236943	3532.	239680
3321.	229172	3374.	232039	3427.	234710	3480.	237026	3533.	239691
3322.	229220	3375.	232093	3428.	234752	3481.	237050	3534.	239721
3323.	229233	3376.	232107	3429.	234787	3482.	237088	3535.	239746
3324.	229253	3377.	232130	3430.	234799	3483.	237277	3536.	239781
3325.	229669	3378.	232182	3431.	234813	3484.	237279	3537.	239807
3326.	229672	3379.	232393	3432.	234840	3485.	237328	3538.	239823
3327.	229676	3380.	232501	3433.	234951	3486.	237336	3539.	239841
3328.	229703	3381.	232525	3434.	234962	3487.	237358	3540.	239859
3329.	229754	3382.	232590	3435.	234963	3488.	237410	3541.	239882
3330.	229782	3383.	232672	3436.	235085	3489.	237457	3542.	239892
3331.	229814	3384.	232730	3437.	235102	3490.	237571	3543.	239928
3332.	229887	3385.	232779	3438.	235110	3491.	237581	3544.	239985
3333.	229925	3386.	232818	3439.	235200	3492.	237619	3545.	240006
3334.	229933	3387.	232855	3440.	235215	3493.	237659	3546.	240030
3335.	230006	3388.	232904	3441.	235230	3494.	237660	3547.	240042
3336.	230007	3389.	232981	3442.	235233	3495.	237669	3548.	240061
3337.	230026	3390.	233085	3443.	235333	3496.	237723	3549.	240071
3338.	230030	3391.	233130	3444.	235361	3497.	237810	3550.	240094
3339.	230091	3392.	233189	3445.	235369	3498.	237823	3551.	240254
3340.	230102	3393.	233237	3446.	235377	3499.	237834	3552.	240255
3341.	230133	3394.	233261	3447.	235487	3500.	237858	3553.	240342
3342.	230164	3395.	233402	3448.	235514	3501.	237899	3554.	240350
3343.	230207	3396.	233486	3449.	235549	3502.	238029	3555.	240522
3344.	230226	3397.	233490	3450.	235582	3503.	238043	3556.	240606
3345.	230314	3398.	233499	3451.	235650	3504.	238048	3557.	240612
3346.	230374	3399.	233535	3452.	235656	3505.	238093	3558.	240617
3347.	230489	3400.	233580	3453.	235760	3506.	238101	3559.	240630
3348.	230490	3401.	233595	3454.	235765	3507.	238116	3560.	240699
3349.	230498	3402.	233785	3455.	235767	3508.	238133	3561.	240714
3350.	230543	3403.	233799	3456.	235775	3509.	238151	3562.	240734
3351.	230565	3404.	233824	3457.	235799	3510.	238254	3563.	240831
3352.	230693	3405.	233968	3458.	235835	3511.	238419	3564.	240898
3353.	230781	3406.	233984	3459.	235862	3512.	238440	3565.	240912

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3566.	240941	3619.	245297	3672.	248529	3725.	251678	3778.	254085
3567.	241162	3620.	245388	3673.	248540	3726.	251722	3779.	254200
3568.	241231	3621.	245390	3674.	248561	3727.	251755	3780.	254267
3569.	241236	3622.	245544	3675.	248562	3728.	251934	3781.	254396
3570.	241253	3623.	245568	3676.	248619	3729.	251945	3782.	254491
3571.	241340	3624.	245889	3677.	248623	3730.	251964	3783.	254550
3572.	241400	3625.	245939	3678.	248711	3731.	251969	3784.	254595
3573.	241435	3626.	245941	3679.	248838	3732.	251973	3785.	254656
3574.	241445	3627.	245942	3680.	248978	3733.	252021	3786.	254674
3575.	241496	3628.	245944	3681.	249085	3734.	252029	3787.	254696
3576.	241497	3629.	245971	3682.	249180	3735.	252043	3788.	254697
3577.	241618	3630.	246033	3683.	249182	3736.	252084	3789.	254754
3578.	241686	3631.	246067	3684.	249219	3737.	252138	3790.	254777
3579.	241819	3632.	246100	3685.	249373	3738.	252219	3791.	254778
3580.	241878	3633.	246157	3686.	249405	3739.	252263	3792.	254817
3581.	241991	3634.	246189	3687.	249420	3740.	252280	3793.	254854
3582.	241998	3635.	246235	3688.	249424	3741.	252321	3794.	254869
3583.	242024	3636.	246241	3689.	249431	3742.	252391	3795.	254894
3584.	242028	3637.	246254	3690.	249489	3743.	252394	3796.	254925
3585.	242061	3638.	246323	3691.	249564	3744.	252397	3797.	254960
3586.	242105	3639.	246378	3692.	249726	3745.	252411	3798.	254983
3587.	242115	3640.	246425	3693.	249732	3746.	252440	3799.	255025
3588.	242218	3641.	246496	3694.	249818	3747.	252554	3800.	255067
3589.	242248	3642.	246555	3695.	249904	3748.	252714	3801.	255117
3590.	242402	3643.	246583	3696.	250059	3749.	252729	3802.	255120
3591.	242441	3644.	246627	3697.	250105	3750.	252825	3803.	255159
3592.	242494	3645.	246643	3698.	250199	3751.	252873	3804.	255262
3593.	242513	3646.	246675	3699.	250254	3752.	252904	3805.	255366
3594.	242580	3647.	246677	3700.	250316	3753.	253011	3806.	255444
3595.	242757	3648.	246738	3701.	250322	3754.	253044	3807.	255476
3596.	242870	3649.	246777	3702.	250341	3755.	253053	3808.	255483
3597.	242981	3650.	246779	3703.	250350	3756.	253065	3809.	255516
3598.	243072	3651.	246831	3704.	250427	3757.	253075	3810.	255574
3599.	243092	3652.	246951	3705.	250510	3758.	253125	3811.	255601
3600.	243146	3653.	246991	3706.	250606	3759.	253134	3812.	255671
3601.	243218	3654.	247128	3707.	250680	3760.	253140	3813.	255790
3602.	243249	3655.	247189	3708.	250697	3761.	253156	3814.	255797
3603.	243377	3656.	247297	3709.	250726	3762.	253206	3815.	255868
3604.	243508	3657.	247310	3710.	250792	3763.	253255	3816.	256049
3605.	243541	3658.	247330	3711.	250820	3764.	253256	3817.	256078
3606.	243575	3659.	247368	3712.	250840	3765.	253350	3818.	256082
3607.	243720	3660.	247495	3713.	250978	3766.	253358	3819.	256254
3608.	243733	3661.	247575	3714.	250980	3767.	253397	3820.	256258
3609.	243796	3662.	247582	3715.	251096	3768.	253544	3821.	256261
3610.	243813	3663.	247604	3716.	251106	3769.	253636	3822.	256269
3611.	244237	3664.	247621	3717.	251152	3770.	253757	3823.	256275
3612.	244246	3665.	247754	3718.	251236	3771.	253811	3824.	256354
3613.	244470	3666.	248065	3719.	251291	3772.	253824	3825.	256399
3614.	244638	3667.	248134	3720.	251293	3773.	253831	3826.	256405
3615.	244654	3668.	248251	3721.	251303	3774.	253845	3827.	256496
3616.	244671	3669.	248287	3722.	251430	3775.	253932	3828.	256525
3617.	245023	3670.	248474	3723.	251550	3776.	253965	3829.	256527
3618.	245168	3671.	248523	3724.	251677	3777.	254007	3830.	256567

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3831.	256606	3888.	259571	3945.	262040	4002.	264049	4059.	267191
3832.	256615	3889.	259708	3946.	262051	4003.	264097	4060.	267380
3833.	256629	3890.	259795	3947.	262106	4004.	264141	4061.	267415
3834.	256747	3891.	259854	3948.	262139	4005.	264150	4062.	267448
3835.	256781	3892.	259861	3949.	262197	4006.	264156	4063.	267476
3836.	256832	3893.	259865	3950.	262200	4007.	264194	4064.	267514
3837.	256998	3894.	259869	3951.	262221	4008.	264250	4065.	267537
3838.	257011	3895.	259896	3952.	262353	4009.	264253	4066.	267673
3839.	257026	3896.	259974	3953.	262372	4010.	264275	4067.	267788
3840.	257061	3897.	259988	3954.	262386	4011.	264331	4068.	268017
3841.	257089	3898.	260048	3955.	262394	4012.	264349	4069.	268203
3842.	257179	3899.	260125	3956.	262415	4013.	264362	4070.	268392
3843.	257214	3900.	260143	3957.	262461	4014.	264387	4071.	268544
3844.	257252	3901.	260197	3958.	262547	4015.	264399	4072.	268564
3845.	257311	3902.	260198	3959.	262576	4016.	264422	4073.	268615
3846.	257336	3903.	260247	3960.	262582	4017.	264425	4074.	268637
3847.	257358	3904.	260269	3961.	262602	4018.	264429	4075.	268772
3848.	257367	3905.	260280	3962.	262646	4019.	264480	4076.	269000
3849.	257444	3906.	260394	3963.	262657	4020.	264536	4077.	269123
3850.	257450	3907.	260437	3964.	262682	4021.	264558	4078.	269210
3851.	257471	3908.	260480	3965.	262727	4022.	264622	4079.	269472
3852.	257626	3909.	260583	3966.	262735	4023.	264693	4080.	269583
3853.	257683	3910.	260647	3967.	262772	4024.	264702	4081.	269747
3854.	257740	3911.	260669	3968.	262801	4025.	264722	4082.	269838
3855.	257757	3912.	260727	3969.	262817	4026.	264755	4083.	269872
3856.	257788	3913.	260733	3970.	262890	4027.	264759	4084.	270011
3857.	257812	3914.	260822	3971.	262893	4028.	264774	4085.	270078
3858.	257813	3915.	260842	3972.	262901	4029.	264791	4086.	270096
3859.	257817	3916.	260847	3973.	262978	4030.	264842	4087.	270103
3860.	257886	3917.	260947	3974.	262982	4031.	264895	4088.	270110
3861.	258050	3918.	260955	3975.	262996	4032.	265062	4089.	270115
3862.	258196	3919.	260996	3976.	262997	4033.	265153	4090.	270172
3863.	258405	3920.	261028	3977.	263073	4034.	265156	4091.	270366
3864.	258455	3921.	261040	3978.	263118	4035.	265168	4092.	270455
3865.	258468	3922.	261098	3979.	263137	4036.	265172	4093.	270549
3866.	258472	3923.	261158	3980.	263140	4037.	265609	4094.	270617
3867.	258484	3924.	261209	3981.	263170	4038.	265660	4095.	270700
3868.	258592	3925.	261229	3982.	263180	4039.	265674	4096.	270722
3869.	258652	3926.	261272	3983.	263232	4040.	265693	4097.	270856
3870.	258720	3927.	261343	3984.	263253	4041.	265854	4098.	270905
3871.	258787	3928.	261370	3985.	263280	4042.	265970	4099.	271024
3872.	258869	3929.	261372	3986.	263356	4043.	265993	4100.	271054
3873.	258895	3930.	261410	3987.	263405	4044.	266079	4101.	271076
3874.	258947	3931.	261435	3988.	263426	4045.	266153	4102.	271148
3875.	258966	3932.	261495	3989.	263493	4046.	266189	4103.	271256
3876.	258985	3933.	261535	3990.	263507	4047.	266313	4104.	271418
3877.	258986	3934.	261541	3991.	263510	4048.	266418	4105.	271557
3878.	259006	3935.	261606	3992.	263514	4049.	266468	4106.	271625
3879.	259043	3936.	261634	3993.	263598	4050.	266547	4107.	271665
3880.	259060	3937.	261667	3994.	263696	4051.	266555	4108.	271700
3881.	259073	3938.	261681	3995.	263864	4052.	266581	4109.	271728
3882.	259127	3939.	261688	3996.	263909	4053.	266609	4110.	271795
3883.	259166	3940.	261722	3997.	263936	4054.	266617	4111.	271797
3884.	259167	3941.	261775	3998.	263940	4055.	266787	4112.	271807
3885.	259279	3942.	261810	3999.	263956	4056.	266943	4113.	271853
3886.	259358	3943.	261822	4000.	264019	4057.	267048	4114.	271888
3887.	259546	3944.	261951	4001.	264037	4058.	267068	4115.	271964

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4116.	271981	4173.	274540	4230.	277259	4287.	280673	4344.	284194
4117.	271982	4174.	274654	4231.	277283	4288.	280776	4345.	284241
4118.	271990	4175.	274709	4232.	277297	4289.	281080	4346.	284246
4119.	272025	4176.	274781	4233.	277316	4290.	281157	4347.	284285
4120.	272077	4177.	274832	4234.	277475	4291.	281295	4348.	284306
4121.	272081	4178.	274834	4235.	277678	4292.	281309	4349.	284344
4122.	272085	4179.	274846	4236.	277683	4293.	281327	4350.	284371
4123.	272262	4180.	274857	4237.	277697	4294.	281431	4351.	284412
4124.	272309	4181.	275038	4238.	277730	4295.	281495	4352.	284452
4125.	272342	4182.	275056	4239.	277808	4296.	281507	4353.	284508
4126.	272391	4183.	275080	4240.	277860	4297.	281566	4354.	284514
4127.	272414	4184.	275093	4241.	278130	4298.	281582	4355.	284535
4128.	272437	4185.	275159	4242.	278174	4299.	281674	4356.	284543
4129.	272445	4186.	275201	4243.	278185	4300.	281714	4357.	284552
4130.	272478	4187.	275203	4244.	278219	4301.	281783	4358.	284570
4131.	272489	4188.	275246	4245.	278315	4302.	281964	4359.	284573
4132.	272593	4189.	275284	4246.	278325	4303.	282000	4360.	284600
4133.	272655	4190.	275285	4247.	278332	4304.	282027	4361.	284607
4134.	272666	4191.	275398	4248.	278631	4305.	282100	4362.	284617
4135.	272672	4192.	275424	4249.	278638	4306.	282104	4363.	284646
4136.	272702	4193.	275479	4250.	278643	4307.	282152	4364.	284680
4137.	272740	4194.	275509	4251.	278648	4308.	282204	4365.	284740
4138.	272760	4195.	275556	4252.	278822	4309.	282229	4366.	284774
4139.	272785	4196.	275719	4253.	278908	4310.	282268	4367.	284825
4140.	272820	4197.	275815	4254.	278954	4311.	282277	4368.	284893
4141.	272900	4198.	275821	4255.	278959	4312.	282305	4369.	285091
4142.	273006	4199.	275874	4256.	279155	4313.	282320	4370.	285121
4143.	273070	4200.	275895	4257.	279170	4314.	282513	4371.	285134
4144.	273140	4201.	275929	4258.	279207	4315.	282638	4372.	285156
4145.	273160	4202.	275948	4259.	279231	4316.	282745	4373.	285173
4146.	273302	4203.	276032	4260.	279411	4317.	282754	4374.	285214
4147.	273408	4204.	276079	4261.	279417	4318.	282812	4375.	285270
4148.	273421	4205.	276091	4262.	279478	4319.	282818	4376.	285301
4149.	273442	4206.	276156	4263.	279624	4320.	282947	4377.	285308
4150.	273507	4207.	276160	4264.	279639	4321.	282950	4378.	285436
4151.	273514	4208.	276166	4265.	279768	4322.	282991	4379.	285437
4152.	273519	4209.	276240	4266.	279802	4323.	283130	4380.	285481
4153.	273540	4210.	276345	4267.	280097	4324.	283150	4381.	285543
4154.	273571	4211.	276347	4268.	280118	4325.	283228	4382.	285576
4155.	273599	4212.	276375	4269.	280144	4326.	283258	4383.	285695
4156.	273602	4213.	276403	4270.	280160	4327.	283287	4384.	285725
4157.	273649	4214.	276417	4271.	280199	4328.	283304	4385.	285816
4158.	273659	4215.	276458	4272.	280224	4329.	283373	4386.	285923
4159.	273676	4216.	276477	4273.	280227	4330.	283403	4387.	285934
4160.	273692	4217.	276561	4274.	280257	4331.	283491	4388.	285989
4161.	273702	4218.	276625	4275.	280322	4332.	283573	4389.	286036
4162.	273780	4219.	276646	4276.	280323	4333.	283574	4390.	286079
4163.	273815	4220.	276762	4277.	280334	4334.	283761	4391.	286170
4164.	273891	4221.	276766	4278.	280348	4335.	283772	4392.	286173
4165.	273916	4222.	276848	4279.	280455	4336.	283812	4393.	286546
4166.	273995	4223.	276950	4280.	280459	4337.	283938	4394.	286792
4167.	274005	4224.	276961	4281.	280479	4338.	283951	4395.	286890
4168.	274220	4225.	277039	4282.	280567	4339.	283958	4396.	286942
4169.	274240	4226.	277058	4283.	280584	4340.	284043	4397.	287015
4170.	274305	4227.	277092	4284.	280599	4341.	284077		
4171.	274423	4228.	277097	4285.	280650	4342.	284134		
4172.	274449	4229.	277118	4286.	280668	4343.	284171		

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4398.	287101	4411.	288140	4424.	288675	4437.	289425	4450.	290381
4399.	287161	4412.	288158	4425.	288708	4438.	289506	4451.	290476
4400.	287363	4413.	288165	4426.	288746	4439.	289742	4452.	290557
4401.	287599	4414.	288167	4427.	288784	4440.	289746	4453.	290825
4402.	287642	4415.	288185	4428.	288797	4441.	289780	4454.	291068
4403.	287662	4416.	288298	4429.	288902	4442.	289798	4455.	291118
4404.	287722	4417.	288319	4430.	289011	4443.	289832	4456.	291178
4405.	287902	4418.	288368	4431.	289025	4444.	289870	4457.	291186
4406.	287917	4419.	288410	4432.	289026	4445.	289992	4458.	291275
4407.	287984	4420.	288428	4433.	289333	4446.	290037	4459.	291280
4408.	288009	4421.	288560	4434.	289382	4447.	290167	4460.	291880
4409.	288011	4422.	288568	4435.	289384	4448.	290360	4461.	291999
4410.	288127	4423.	288668	4436.	289421	4449.	290362	4462.	292003

टीप:-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है यदि प्रत्याशी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2016 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिये उनकी अर्हता समाप्त हो जाएगी.
2. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2016 में अर्ह आवेदकों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 की लिखित परीक्षा दिनांक 02 नवम्बर, 2016 से होगी. इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे.
3. अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम.पी. ऑनलाईन से दिनांक 20 जुलाई, 2016 से 12 अगस्त, 2016 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जायेगी.
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचनाफलक पर देखने के लिये उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
8. द्वितीय प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही प्रथम प्रश्नपत्र के गुणानुक्रम अनुसार सूची तैयार की गयी है.
9. प्रथम प्रश्नपत्र में 04 प्रश्न विलोपित करने के पश्चात् 96 प्रश्नों के कुल 192 अंकों के प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम सूची तैयार की गई है.

(569-A)

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.**विविध****न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर**

रा.प्र.क्र.05/बी-113(4)/2015-16.

जारी, दिनांक 25 जून, 2016

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

चूंकि आवेदक सत्यानंद परमार्थ ट्रस्ट, 19, सत्यानंद बिहार, रामपुर-जबलपुर (चैरिटेबल ट्रस्ट) द्वारा मैनेजिंग ट्रस्ट श्री महमूद जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 02 अगस्त, 2016 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अधिभाषक या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता : सत्यानंद परमार्थ ट्रस्ट, 19, सत्यानंद बिहार, रामपुर-जबलपुर (म.प्र.).
2. चल सम्पत्ति : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.
4. न्यास की आय का स्रोत : दान से.

अरविंद सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी.

(543)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर

प्र.क्र. बी/113(1) वर्ष 2015-16.

बण्डा, दिनांक /07/2016

मौजा-रूरावन, तहसील शाहगढ़.

भगवानदास पिता स्व. देवीप्रसाद रावत
निवासी ग्राम-खडेसरा, तह. खुरई, जिला सागर.

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

इस्तहार

क्र.क/ /रीडर-1/2016.—सर्व-साधारण को इस्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक भगवानदास पिता स्व. देवीप्रसाद रावत, निवासी ग्राम-खडेसरा, तहसील खुरई, जिला-सागर मध्यप्रदेश के द्वारा मौजा ग्राम रूरावन प. ह. नं. 28, तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित मंदिर श्रीजानकी रमणजी मुहत्तमकार/पुजारी देवीप्रसाद पिता गौरीशंकर सा. पापेट, प्रबंधक कलेक्टर, सागर के नाम ख. नं.-477, 537 रकवा-1.71 हे, 0.18 हे. कुल रकवा-1.89 हे. दर्ज है. आवेदक द्वारा स्व. देवीप्रसाद पिता गौरीशंकर सा. पापेट, तहसील शाहगढ़, जिला सागर के पूर्व मुहत्तम की मृत्यु करीब 30 वर्ष पूर्व हो जाने के फलस्वरूप आवेदक स्वयं को मुहत्तमकार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 28 जुलाई, 2016 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा.

इस्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी

जारी दिनांक 08-07-2016

पेशी दिनांक 28-07-2016

बी. बी. पान्डेय,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्टार.

(544)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पिपरई, जिला अशोकनगर

प्र.क्र. /बी-113/2015-16.

संशोधित विज्ञप्ति

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) एवं 5 (1) के अन्तर्गत]

इस न्यायालय में मंदिर श्री राधाकृष्ण बिहारी जी ग्राम बर्बा का प्रकरण मध्यप्रदेश लोक न्यास एक्ट की धारा-4 के अंतर्गत

मंदिर श्री राधाकृष्ण बिहारी जी ग्राम बर्वा, तहसील पिपरई में उसकी चल व अचल सम्पत्ति के पंजीयन हेतु चल रहा है। जिसमें मेरे द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2016 को विचार किया जावेगा।

इस धार्मिक स्थान की चल व अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति के बाबत किसी भी प्रकार का संबंध रखता हो, तो वह कोई भी आपत्ति या सुझाव दो प्रति में लिखित रूप में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अंदर मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है तिथि निकल जाने के पश्चात् की गई किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची क्रमांक-1

मंदिर की प्रबंधन कार्यकारिणी (न्यासीगण) के सदस्यों, प्रबंधक, न्यासी व पदाधिकारियों के पते सहित सूची

- | | | |
|------|---|--------------------|
| (1) | दशोदाबाई पत्नि प्रभुदयाल शिवहरे,
निवासीग्राम बर्वा, तहसील पिपरई, जिला अशोकनगर. | - अध्यक्ष |
| (2) | प्रभुदयाल पुत्र बट्टी शिवहरे..... | - सदस्य प्रबंधक |
| (3) | हरनारायण पुत्र घासीराम लोधी..... | - सदस्य |
| (4) | आकाश पुत्र नर्मदा प्रसाद शिवहरे..... | - सदस्य |
| (5) | जुगलकिशोर पुत्र हरलाल शिवहरे..... | - सदस्य |
| (6) | उधमसिंह पुत्र प्रभुलाल लोधी..... | - सदस्य |
| (7) | जगदीश पुत्र परसराम शिवहरे..... | - सदस्य |
| (8) | रामा पुत्र बालमुकुन्द प्रजापति..... | - सदस्य |
| (9) | हरनारायण पुत्र कालूराम शिवहरे..... | - सदस्य |
| (10) | कालूराम पुत्र हरिराम लोधी..... | - सदस्य |
| (11) | रांजेश पुत्र शिवनारायण शिहारे..... | - सदस्य |
| (12) | तहसीलदार महोदय..... | - शासकीय प्रतिनिधि |

चल व अचल सम्पत्ति का विवरण मंदिर श्री राधाकृष्ण बिहारी जी ग्राम बर्वा जिसका पंजीयन किया जाना है निम्नानुसार है-

क्र.	नाम सम्पत्ति	अनुमानित कीमत
1.	मूर्ति श्री कृष्ण भगवान की 29 इंच संगमरमर की बड़ी एक	40000
2.	मूर्ति राधा जी की 29 इंच संगमरमर की बड़ी एक	40000
3.	मूर्ति शंकर जी की संगमरमर	5000
4.	मूर्ति पार्वती जी की संगमरमर	5000
5.	मूर्ति श्री नंदी महाराज की	5000
6.	मूर्ति श्री गणेश, कार्तिक जी की संगमरमर	5000
7.	मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी की (पीतल)	4000
8.	मूर्ति राधा जी की (पीतल)	4000
9.	मूर्ति श्री लड्डू गोपाल जी की (पीतल)	2000

अन्य सामग्री:-

क्र.	नाम सम्पत्ति	अनुमानित कीमत
1	2	3
1.	गरूड जी घंटी (पीतल) एक	500
2.	बांसुरी (पीतल) तीन	15000
3.	झालर पीतल दो	1000
4.	विजय घंटा पीतल	1000

1	2	3
5.	आरती पीतल	200
6.	चांदी का सिक्का एक, गंगा सागर तांबे का एक, लोटा अष्ट धातु का	1200
7.	प्लेट तांबे की, आंचमनी तांबे की, थाली तांबे की एक	500
8.	थाली स्टील की	300
9.	लालटेन लौहे की, गैस बत्ती लौहे की दो	1300
10.	गुंड बड़ी स्टील की एक	700
11.	गुंड छोटी पीतल की एक	1000
12.	बर्नी स्टील की तीन	500
13.	डिब्बा एल्युमीनियम सात	1500
14.	गैस चूल्हा सिलेंडर सहित	5000
15.	गगरी स्टील की	300
16.	परात पीतल की	500
17.	थाली अष्ट धातु	500
18.	थाली चार खन वाली स्टील की चार	400
19.	परात स्टील की	300
20.	तसला स्टील का सात	700
21.	लोटा पीतल के दो, पंखा टेबिल फैन लौहे के दो, ड्रम प्लास्टिक के छः	6300
22.	बक्सा पेटी लोहे के तीन, सूटकेश, कुकर, एल्युमीनियम, सब्बल लोहे की चार	5500
23.	कढ़ाही लोहे की तीन	1000
24.	गेंती फडुआ लोहे के तीन, तराजु बांट लोहे के दो, भगोना एल्युमीनियम	1500
25.	नशेनी लोहे की, खल्लर लोहे का, खल्लर स्टील की	1400
26.	श्री रामायण जी, श्री भागवत जी, श्री गीता जी एवं अन्य ग्रंथ	2800
27.	सीलिंग फैन दो	2000
28.	मंगल सूत्र सोने का एक	1500
29.	दान पेटी एक	2300

अचल सम्पत्ति-(1)

क्र.	नाम सम्पत्ति	अनुमानित कीमत
1.	मंदिर पक्का एक	10,00,000

2-(क) ग्राम बर्रा, तहसील पिपरई, जिला अशोकनगर-

क्र.	सर्वे नं.	रकबा	लगान	अनुमानित कीमत
1.	33/2/1	1.503 हे.	7.55	14,00,000
2.	198/2/1	0.077 हे.	0.00	2,00,000
3.	33/1/ख	0.971 हे.	5.00	9,00,000
योग	3	2.551 हे.	12.55	25,00,000

2-(ख) ग्राम पिपरिया, तहसील पिपरई, जिला अशोकनगर-

क्र.	सर्वे नं.	रकबा	लगान	अनुमानित कीमत
1.	1/3/1रकबा 1.108 में से	0.481 हे.	4.25	5,00,000
2.	(1/1/ख)	1.108 हे.	4.10	10,00,000
योग:	5	4.140	20.90	50,00,000

नेहा शिवहरे,

(545)

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक सरजूबाई चेरीटेबल ट्रस्ट, पता-11-12, डॉ. सरजूप्रसाद मार्ग, इन्दौर तर्फे डॉ. संजय अग्रवाल पिता डॉ. गोकुलदास अग्रवाल, पता-11-12, डॉ. सरजूप्रसाद मार्ग, इन्दौर द्वारा सरजूबाई चेरीटेबल ट्रस्ट, कार्यालय पता-11-12, डॉ. सरजूप्रसाद मार्ग, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	सरजूबाई चेरीटेबल ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय पता-11-12, डॉ. सरजूप्रसाद मार्ग, (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति में ट्रस्ट के पास उपहार की जा रही सम्पत्ति क्रमांक 60-ए, जो कि म्यु. मकान नं. 518 (नया नंबर 41) पैकि भाग होकर "शीलनाथ केम्प" (मेसर्स भंडारी आर्यन एण्ड स्टील प्रायवेट लिमिटेड का कारखाना तथा डायरेक्टर महोदय का बंगला पर स्थित) है.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट अनुसार 3-4 लाख, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता क्रमांक 53013557191 में जमा है.

आज दिनांक 20 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(546)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी**

शिवपुरी, दिनांक 08 जुलाई, 2016

आदेश

क्र./परि./2016/1323.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नंबर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत कॉलम नंबर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नं. 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1.	विश्वकर्मा काष्ठकला एवं लोहा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	277/11-05-1994	1819/05-12-2013	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नंबर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(547)

शिवपुरी, दिनांक 08 जुलाई, 2016

आदेश

क्र./परि./2016/1324.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नंबर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत कॉलम नंबर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नं. 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1.	प्रगति चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कूड़ा	354/24-05-1995	761/04-06-2014	श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नंबर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(547-A)

शिवपुरी, दिनांक 08 जुलाई, 2016

आदेश

क्र./परि./2016/1325.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नंबर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत कॉलम नंबर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नं. 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1.	मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., वीरपुर	515/22-08-2005	765/04-06-2014	श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नंबर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समिति, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(547-B)

कार्यालय परिसमापक, सतनाम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., वामौरकलां, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

सतनाम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., वामौरकलां, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 196, दिनांक 08 अक्टूबर, 1988 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1000, दिनांक 16 मई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था को लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 11 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(548)

कार्यालय परिसमापक, सिरोवन बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., गूडर, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

सिरोवन बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., गूडर, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 556, दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 701, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था को लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 11 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(548-A)

कार्यालय परिसमापक, अ. जा. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कसेरा कॉलोनी, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

अ. जा. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कसेरा कॉलोनी, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 311, दिनांक 13 फरवरी, 1995 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 715, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था को लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 11 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(548-B)

कार्यालय परिसमापक, खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., नरवर, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., नरवर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 445, दिनांक 25 अक्टूबर, 1999 है, को उप-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2837, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था को लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 11 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(548-C)

कार्यालय परिसमापक, बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खनियाधाना, जिला शिवपुरी

दिनांक 11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खनियाधाना, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 586, दिनांक 30 अगस्त, 2011 है, को उप-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 78, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था को लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध, समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 11 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

व्ही. के. जैन,
परिसमापक.

(548-D)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/806.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/29, धार, दिनांक 04 जनवरी, 2016 के द्वारा जम्बुदेवी आजीविका

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहेडी, तहसील गंधवानी, जिला धार मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1292, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, उप-सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधि सूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत जम्बुदेवी आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहेडी, तहसील गंधवानी, जिला धार मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(549)

धार, दिनांक 31 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/807.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/374, धार, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोधवाडा, तहसील व जिला धार मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1236, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोधवाडा, तहसील व जिला धार मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,

उप-रजिस्ट्रार.

(549-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

आपूर्ति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.922, दिनांक 13 सितम्बर, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1277, सागर, दिनांक 06 मई, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावडकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के

अन्तर्गत आपूर्ति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र.922, दिनांक 13 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत ऋषभ कुमार जैन, स. नि./स. वि. अ., बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(550)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.687, दिनांक 03 जुलाई, 1996 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1278, सागर, दिनांक 06 मई, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.687, दिनांक 03 जुलाई, 1996 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत ऋषभ कुमार जैन, स. नि./स. वि. अ., बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(550-A)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

जनसेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.622, दिनांक 03 जनवरी, 1996 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1276, सागर, दिनांक 06 मई, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जनसेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.622, दिनांक 03 जनवरी, 1996 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत ऋषभ कुमार जैन, स. नि./स. वि. अ., बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(550-B)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रेल्वे कॉलोनी बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1149, दिनांक

02 सितम्बर, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1275, सागर, दिनांक 06 मई, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रेल्वे कॉलोनी बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1149, दिनांक 02 सितम्बर, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत ऋषभ कुमार जैन, स. नि./स. वि. अ., बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(550-C)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1605.-हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्या., विनैका (बण्डा), वि.ख. बण्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.638, दिनांक 17 जुलाई, 1996 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1274, सागर, दिनांक 06 मई, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्या., विनैका (बण्डा), वि.ख. बण्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.638, दिनांक 17 जुलाई, 1996 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत रामजी खरे, स. नि./स. वि. अ., बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(550-D)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तालगवारी (सुरखी), वि.ख. सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.143, दिनांक 18 जून, 1966 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1273, सागर, दिनांक 06 मई, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तालग्वारी (सुरखी), वि.ख. सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.143, दिनांक 18 जून, 1966 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत एच. के. मिश्रा, स. नि./स. वि. अ., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(550-E)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

सेवा सहकारी समिति मर्या., बीना इटावा, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.14, दिनांक 17 जून, 1964 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1491, सागर, दिनांक 13 जून, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सेवा सहकारी समिति मर्या., बीना इटावा, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.14, दिनांक 17 जून, 1964 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत ऋषभ कुमार जैन, स. नि./स. वि. अ., बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(550-F)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

स्टेट बैंक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.ख. सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.46, दिनांक 23 नवम्बर, 1987 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1492, सागर, दिनांक 13 जून, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत स्टेट बैंक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.ख. सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.46, दिनांक 23 नवम्बर, 1987 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत एच. के. मिश्रा, स. नि./स. वि. अ., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(550-G)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

माँ जागेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आचवल वार्ड बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1320, दिनांक 06 सितम्बर, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1493, सागर, दिनांक 13 जून, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत माँ जागेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आचवल वार्ड बीना, वि.ख. बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1320, दिनांक 06 सितम्बर, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत ऋषभ कुमार जैन, स. नि./स. वि. अ., बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(550-H)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

सागर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.ख. सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.12, दिनांक 02 नवम्बर, 1961 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1494, सागर, दिनांक 13 जून, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सागर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.ख. सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.12, दिनांक 02 नवम्बर, 1961 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत एच. के. मिश्रा, स. नि./स. वि. अ., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(550-I)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

बीड़ी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रनगुवां, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1242, दिनांक 13 अक्टूबर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1495, सागर, दिनांक 13 जून, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रनगुवां, वि.ख. रेहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1242, दिनांक 13 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत आर. के. केसरी, स. नि./स. वि. अ., रेहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(550-J)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

सरस्वती महिला विकास सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, वि.ख. जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1223, दिनांक 19 अप्रैल, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1496, सागर, दिनांक 13 जून, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सरस्वती महिला विकास सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, वि.ख. जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1223, दिनांक 19 अप्रैल, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत बसंत रोहित, स. नि./स. वि. अ., जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(550-K)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

सीता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुरई, वि.ख. खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1203, दिनांक 16 जून, 2015 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1497, सागर, दिनांक 13 जून, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सीता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुरई, वि.ख. खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.1203, दिनांक

16 जून, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत एस. के. दुबे, स. नि./स. वि. अ., खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(550-L)

सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुशीपुरा, वि.ख. बण्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.785, दिनांक 14 अगस्त, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/1498, सागर, दिनांक 13 जून, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खुशीपुरा, वि.ख. बण्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश), पंजीयन क्र.785, दिनांक 14 अगस्त, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत रामजी खरे, स. नि./स. वि. अ., बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(550-M)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 01 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1175.—परिसमापन समिति माँ नर्मदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकलां (मरकाढाना), पंजीयन क्रमांक 3222, दिनांक 17 जून, 2015 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एस. पगारे, स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा दिनांक 28 जून, 2016 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया। उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशांसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मण्डल के नाम प्रस्तावित किये हैं। मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है। तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ नर्मदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकलां (मरकाढाना), पंजीयन क्रमांक 3222, दिनांक 17 जून, 2015 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ संस्था से कार्य संचालन हेतु नामांकित मण्डल का अनुमोदन किया जाता है। संस्था का निर्वाचन समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करें:—

क्र.	संचालक सदस्य का नाम	पद
1	2	3
1.	श्रीमति लीलाबाई	अध्यक्ष
2.	श्रीमति पार्वतीबाई	उपाध्यक्ष

1	2	3
3.	श्रीमति मुन्नीबाई	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमति मानकुवरबाई	सदस्य
5.	श्रीमति सुशीलाबाई	सदस्य
6.	श्रीमति हरिबाई	सदस्य
7.	श्रीमति पन्नाबाई	सदस्य
8.	श्रीमति सीताबाई	सदस्य
9.	श्रीमति जीजाबाई	सदस्य
10.	श्रीमति बिन्नीबाई	सदस्य
11.	श्रीमति चम्माबाई	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 01 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(551)

होशंगाबाद, दिनांक 01 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1176.—परिसमापन समिति आदर्श गोकुल ग्राम विकास सहकारी समिति मर्या., टूठां दहलवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 2876, दिनांक 03 नवम्बर, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/862, दिनांक 11 जून, 2009 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एस. पगारे, स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा दिनांक 04 जनवरी, 2016 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया। उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मण्डल के नाम प्रस्तावित किये हैं। मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है। तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श गोकुल ग्राम विकास सहकारी समिति मर्या., टूठां दहलवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 2876, दिनांक 03 नवम्बर, 2005 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/862, दिनांक 11 जून, 2009 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ संस्था से कार्य संचालन हेतु नामांकित मण्डल का अनुमोदन किया जाता है। संस्था का निर्वाचन समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित करें:—

क्र.	संचालक सदस्य का नाम	पद
1.	श्रीमति सुनीताबाई	अध्यक्ष
2.	श्री पंचमसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री नीमचन्द्र	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमति पुष्पाबाई	सदस्य
5.	श्री भरतसिंह	सदस्य
6.	श्री फूलसिंह	सदस्य
7.	श्री लालजी	सदस्य
8.	श्री द्वारका प्रसाद	सदस्य
9.	श्री सुखराम	सदस्य
10.	श्री मनिराम	सदस्य
11.	श्री पुरुषोत्तम	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 01 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(551-A)

होशंगाबाद, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1197.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुर, पंजीयन क्रमांक 2132, दिनांक 26 अगस्त, 1982 को निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था प्रबंधक, संस्था की गतिविधि में कोई रुचि नहीं लेने.
2. संस्था की वर्ष 2014-15 के अंकेक्षण टीप का अवलोकन में पाया गया कि, संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है. अतः संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं करने के कारण.
3. संस्था सदस्य, संस्था को चलाने के इच्छुक नहीं हैं.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि, संस्था को अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हित में कार्य न करते हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित में संचालित हो रही है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया-जाना आवश्यक है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एस. दुबे, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(551-B)

होशंगाबाद, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1199.—परिसमापन समिति स्वामी विवेकानन्द साख सहकारी समिति मर्या., डोंगरवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 3023, दिनांक 26 फरवरी, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. पी. पाल, उप-अंके. को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा दिनांक 21 जून, 2016 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया. उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मण्डल के नाम प्रस्तावित किये हैं. मेरी राय में संस्था को अस्तित्व में बनाये रखना उचित है. तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वामी विवेकानन्द साख सहकारी समिति मर्या., डोंगरवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 3023, दिनांक 26 फरवरी, 2009 को परिसमापन में लाने के आदेश क्र./परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था से कार्य संचालन हेतु नामांकित मण्डल का अनुमोदन किया जाता है.—

क्र.	संचालक सदस्य का नाम	पद
1	2	3
1.	श्री संजीत यादव	अध्यक्ष
2.	श्री जयसिंह/भैयालाल धुर्वे	उपाध्यक्ष
3.	श्री देवेन्द्र सिंह/कंचन सिंह	सदस्य
4.	श्री टीकाराम/लाल सिंह	सदस्य

1	2	3
5.	श्री रामभरोस/टीकाराम	सदस्य
6.	श्री भैयालाल/खेमचंद	सदस्य
7.	श्री डालचंद/हरप्रसाद	सदस्य
8.	श्री अर्जुन/रामप्रसाद	सदस्य
9.	श्री जगन्नाथ/लालचंद	सदस्य
10.	श्री जगदीश/रामप्रसाद	सदस्य
11.	श्री बलवंतसिंह/जीयालाल	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(551-C)

होशंगाबाद, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1200.—परिसमापन समिति राम रहीम साख सहकारी समिति मर्या., कुलामड़ी, पंजीयन क्रमांक 3022, दिनांक 26 फरवरी, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. पी. पाल, उप-अंके. को परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा दिनांक 20 जून, 2016 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया। उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशांसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मण्डल के नाम प्रस्तावित किये हैं। मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है। तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राम रहीम साख सहकारी समिति मर्या., कुलामड़ी, पंजीयन क्रमांक 3022, दिनांक 26 फरवरी, 2009 को परिसमापन में लाने के आदेश क्र./परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ। संस्था से कार्य संचालन हेतु नामांकित मण्डल का अनुमोदन किया जाता है।—

क्र.	संचालक सदस्य का नाम	पद
1.	श्री ब्रजेश धुर्वे/लिखीराम	अध्यक्ष
2.	श्रीमति गीता यादव	उपाध्यक्ष
3.	श्री जीरन दास यादव	सदस्य
4.	श्री रामभरोस यादव	सदस्य
5.	श्री रामकुमार यादव	सदस्य
6.	श्री लखनलाल	सदस्य
7.	श्री राजेश चौरे	सदस्य
8.	श्री महेश कुमार	सदस्य
9.	श्री सुन्दरलाल	सदस्य
10.	श्री लक्ष्मी	सदस्य
11.	श्री छन्नू यादव	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(551-D)

होशंगाबाद, दिनांक 06 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1230.—यह कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा जो मुझे प्रदत्त हैं पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री एम. के. महर्तो, उप-अंकेक्षक के स्थान पर श्री ए. एस. सल्लाम, अंके. अधि. को अधोलिखित परिसमापित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पा., नाहरकोला	2273/14-10-1987	1852/12-09-2011
2.	तिलहन उत्पा., गाडरिया	2202/30-07-1987	1210/18-08-2000
3.	तिलहन उत्पा., बिसोनीकला	2287/14-10-1987	1813/08-11-2000
4.	तिलहन उत्पा., चौतलाय	2146/18-10-1982	1837/09-11-2000
5.	दुग्ध उत्पादक, कुंडकला	2927/19-04-2007	741/29-03-2014
6.	नर्मदा महिला औधो., डोगरवाडा	2991/05-08-2008	742/29-03-2014
7.	वसुंधरा रेशम औधो., मानागांव	2999/25-08-2008	743/29-03-2014
8.	माँ वैष्णो महिल बहु. राईखेडी	2763/11-06-2002	337/07-03-2015
9.	शिक्षित बैरोजगार साख, इटारसी	2422/30-07-1993	337/07-03-2015
10.	ताज महिला साख, इटारसी	3016/13-10-2008	337/07-03-2015
11.	बालाजी साख, मालनी	3024/24-02-2009	337/07-03-2015
12.	जय दुर्गे साख, मनवाडा	3027/28-02-2009	337/07-03-2015
13.	माँ नर्मदा साख, सिरवाड	3028/28-02-2009	337/07-03-2015
14.	शिवशक्ति साख, बीकोर	3030/02-03-2009	337/07-03-2015
15.	भारतीय साख, सोहागपुर	3018/01-01-2009	337/07-03-2015

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(551-E)

होशंगाबाद, दिनांक 06 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1231.—परिसमापन समिति परि. आदर्श महिला बहु. उद्देश्य सहकारी समिति मर्या., कुम्हावड, पंजीयन क्रमांक 3033, दिनांक 11 जून, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015 द्वारा परिसमापन मे लाया जाकर श्री जी. पी. गहलोत, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा दिनांक 26 जून, 2016 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुनर्जीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया. उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु अनुशांसा की गई है, साथ ही नामांकित संचालक मण्डल के नाम प्रस्तावित किये हैं. मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बनाये रखना उचित है. तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुये मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श महिला बहु. उद्देश्य सहकारी समिति मर्या., कुम्हावड, पंजीयन क्रमांक 3033, दिनांक 11 जून, 2009 को परिसमापन में लाने के आदेश क्र./परिसमापन/337, दिनांक 07 मार्च, 2015

को समाप्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था से कार्य संचालन हेतु नामांकित मण्डल का अनुमोदन किया जाता है:-

क्र.	संचालक सदस्य का नाम	पद
1.	श्रीमति सीमाबाई/महेशकुमार	अध्यक्ष
2.	श्री चंदा बाई/फूलसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री गौरा बाई/भैयालाल	सदस्य
4.	श्री सरजू बाई/शंकर	सदस्य
5.	श्री भागवती बाई/मोहन	सदस्य
6.	श्री तुलसा बाई/रविशंकर	सदस्य
7.	श्री टहकी बाई/अशोक कुमार	सदस्य
8.	श्री माया बाई/नंदराम	सदस्य
9.	श्री रंजना बाई/जगदीश	सदस्य
10.	श्री सुखमा बाई/नरवरसिंह	सदस्य
11.	श्री जक्ति बाई/कारेलाल	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

के. पाटनकर,
उप-रजिस्ट्रार.

(551-F)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 02 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/806.— श्री पी. एस. रघुवंशी, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 14 मार्च, 2016 में लेख किया है कि मेरे द्वारा निषादराज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सत्ताखेड़ी जाजौन, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के अध्यक्ष से संस्था का चार्ज सौंपने हेतु फोन पर एवं व्यक्तिगत रूप से कहा गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था अध्यक्ष द्वारा मुझे चार्ज नहीं दिया जा रहा है और न ही संस्था अध्यक्ष, संस्था मुख्यालय पर मिलते हैं. प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है. प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, निषादराज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सत्ताखेड़ी जाजौन, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./557, दिनांक 20 मई, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारिता विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 जुलाई, 2016 को जारी करता हूँ.

(552)

विदिशा, दिनांक 02 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/807.— कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार अजाक्स बचत एवं साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के द्वारा उसके

पंजीयन दिनांक 16 जुलाई, 2002 से आज तक संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये अजाक्स बचत एवं साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, अजाक्स बचत एवं साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./628, दिनांक 16 जुलाई, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत अजाक्स बचत एवं साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि अजाक्स बचत एवं साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 जुलाई, 2016 को जारी करता हूँ
(552-A)

विदिशा, दिनांक 02 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा 3 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/808.— कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार व्हाईटल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के द्वारा उसके पंजीयन दिनांक 5 अक्टूबर, 1994 से आज तक संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये व्हाईटल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, व्हाईटल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./507, दिनांक 5 अक्टूबर, 1994 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत व्हाईटल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि व्हाईटल कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 जुलाई, 2016 को जारी करता हूँ
(552-B)

विदिशा, दिनांक 02 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा 3 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/809.— कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री जैन समाज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के द्वारा उसके

पंजीयन दिनांक 17 अप्रैल, 1940 से आज तक संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये श्री जैन समाज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री जैन समाज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, पंजीयन क्रमांक 4308, दिनांक 17 अप्रैल, 1940 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत श्री जैन समाज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर दिनांक 02 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन कार्य समय में अथवा उसके पूर्व साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यदि श्री जैन समाज बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 02 जुलाई, 2016 को जारी करता हूँ।

(552-C)

विदिशा, दिनांक 04 जुलाई, 2016

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2007/275, विदिशा, दिनांक 6 मार्च, 2007 से तबस्सुम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बेलई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./609, दिनांक 08 मार्च, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री किशोर अहरवाल, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था। समापक द्वारा तबस्सुम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बेलई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तबस्सुम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बेलई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./609, दिनांक 08 मार्च, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुये उसका निगम निकाय (बाडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(552-D)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1386.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1144, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा जलकृषि मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 822, दिनांक 12 दिसम्बर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(553)

उज्जैन, दिनांक 25 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2016/1387.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूपेटा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 740, दिनांक 22 अक्टूबर, 1986 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(553-A)

उज्जैन, दिनांक 25 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1388.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2816, दिनांक 03 अगस्त, 2015 द्वारा श्रीकृष्ण साख सहकारी संस्था, मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1490, दिनांक 18 सितम्बर, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(553-B)

उज्जैन, दिनांक 25 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1389.— श्री शंखेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., खाचरौद, पंजीयन क्रमांक 1857, दिनांक 28 मई, 2014 आदेश क्रमांक/परि./743, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जाना है।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत

पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझे वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./743, दिनांक 8 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत श्री शंखेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., खाचरौद, पंजीयन क्रमांक 1857, दिनांक 28 मई, 2014 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(553-C)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 23 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	जयन्त प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खचरौद	1325/26-09-1994	576/25-02-2016
2.	विनोबा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., खचरौद	1288/27-08-1994	576/25-02-2016
3.	भारतीय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा	1023/27-12-1991	576/25-02-2016
4.	गंगा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चावण्ड	1674/25-05-2005	576/25-02-2016
5.	बोresh्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दंगवाड़ा	1944/15-12-2014	742/08-03-2015
6.	जय माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डोदा	1958/27-12-2014	742/08-03-2015
7.	पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी	1965/27-12-2014	742/08-03-2015
8.	ओम साईराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावा	1977/30-12-2014	744/08-03-2016
9.	अंकुर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणवा	1981/01-01-2015	744/08-03-2016
10.	अटल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ावदा	2028/22-01-2015	744/08-03-2016
11.	देवनारायण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा जावरा	2036/22-01-2015	744/08-03-2016
12.	अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोलाना	2054/20-02-2015	862/21-03-2016
13.	श्री योगमाया साख सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	1860/09-07-2014	743/08-03-2016

अतः मैं, एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें, उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 23 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एस. एल. चौहान,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(554)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डवासुरा, तहसील जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (अ) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खण्डवासुरा, तहसील जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 1867, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 है को-उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि/741, उज्जैन, दिनांक 741 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर-70 (1) में अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वो संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(555)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिरोलाकला, तहसील जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (अ) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिरोलाकला, तहसील जिला उज्जैन मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 1897, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 है को-उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि/741, उज्जैन, दिनांक 741 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वो संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(555-A)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलवानियां, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (अ) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलवानियां, तहसील जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 1851, दिनांक 19 मार्च, 2014 है को-उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि/741, उज्जैन, दिनांक 741 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वो संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(555-B)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नारेली, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (अ) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नारेली, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 1879, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 है को-उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि/741, उज्जैन, दिनांक 741 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वो संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(555-C)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालोदालखवा, तहसील जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (अ) के अंतर्गत सूचना]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालोदालखवा, तहसील जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1853, दिनांक 19 मार्च, 2014 है को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि/741, उज्जैन, दिनांक 741 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वो संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(555-D)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बटलावदी, तहसील जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 23 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (अ) के अंतर्गत सूचना]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बटलावदी, तहसील जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1854, दिनांक 19 मार्च, 2014 है को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि/741, उज्जैन, दिनांक 741 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वो संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(555-E)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिपुखेडा, तहसील जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (अ) के अंतर्गत सूचना]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिपुखेडा, तहसील जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1854,

दिनांक 19 मार्च, 2014 है को-उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक परि/741, उज्जैन, दिनांक 741 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के लाया जाकर-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वो संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

आशीष कुमार शर्मा,
परिसमापक.

(555-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन
कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झापड़ी,
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झापड़ी, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1455, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कवाणा,
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कवाणा, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1563,

दिनांक 20 फरवरी, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
बिस्टान दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिस्टान,
तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन.

बिस्टान दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिस्टान, तहसील गोगावं, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1625, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
नागराज आदिवासी मत्स्य सहकारी सं. चौड़ी,
तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन.

नागराज आदिवासी मत्स्य सहकारी सं. चौड़ी, तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1424, दिनांक 10 जून, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पद्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बिराली,
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बिराली, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1439, दिनांक 29 अगस्त, 2006 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
जय भोले मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., सिराली,
तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन.

जय भोले मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., सिराली, तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1471, दिनांक 03 दिसम्बर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
लालबड़ा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायबिडपुरा,
तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

लालबड़ा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायबिडपुरा, तहसील खरगौन जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1555, दिनांक 15 सितम्बर, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिनखेड़ा,
तहसील सेगांव, जिला खरगौन।

आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सिनखेड़ा, तहसील सेगांव, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 22 अप्रैल, 1995 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
श्री संत सिंगाजी बीज उत्पादक सहकारी मर्या., सेगांव,
तहसील सेगांव, जिला खरगौन.

श्री संत सिंगाजी बीज उत्पादक सहकारी मर्या., सेगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1609, दिनांक 03 मार्च, 2011 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
श्री गौड मालवीय परस्पर साख सहकारी संस्था खरगौन,
तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

श्री गौड मालवीय परस्पर साख सहकारी संस्था खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 410, दिनांक 08 नवम्बर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
मण्डलेश्वर सहकारी कृषि उपज संस्था मर्या., मण्डलेश्वर,
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

मण्डलेश्वर सहकारी कृषि उपज संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1239, दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
माँ नर्मदा मिर्च क्रय-विक्रय एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., सनावद,
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

माँ नर्मदा मिर्च क्रय-विक्रय एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., सनावद, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1534, दिनांक 21 सितम्बर, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
पूजा कृषि उत्पाद प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्या., खरगौन,
तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

पूजा कृषि उत्पाद प्रसंस्करण सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1566, दिनांक 30 मार्च, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
माँ नर्मदा कामगार कारीगर सहकारी सं. मर्या., बड़वाह,
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

माँ नर्मदा कामगार कारीगर सहकारी सं. मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1382, दिनांक 01 जुलाई, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
माँ पार्वती कामगार कारीगर सहकारी सं. मर्या., बहेगांव,
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

माँ पार्वती कामगार कारीगर सहकारी सं. मर्या., बहेगांव, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 03 नवम्बर, 1998 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
ईधन सहकारी संस्था मर्या., सेगांव,
तहसील सेगांव, जिला खरगौन.

ईधन सहकारी संस्था मर्या., सेगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1542, दिनांक 14 फरवरी, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था बिस्टान,
तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन.

भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था बिस्टान, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1532, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-P)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
श्री साईनाथ महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खारियामाल,
तहसील झिरन्या, जिला खरगौन.

श्री साईनाथ महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खारियामाल, तहसील झिरन्या, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1557, दिनांक 07 नवम्बर, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-Q)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
कल्याणकारी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगौन,
तहसील खरगौन, जिला खरगौन.

कल्याणकारी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1568, दिनांक 27 अप्रैल, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-R)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
बैष्णोदेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिनखेड़ी,
तहसील सेगांव, जिला खरगौन.

बैष्णोदेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिनखेड़ी, तहसील सेगांव, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1572, दिनांक 21 जुलाई, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-S)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
रूपाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कोठाखुर्द,
तहसील गोगावां, जिला खरगौन.

रूपाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कोठाखुर्द, तहसील गोगावां, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1573, दिनांक 21 जुलाई, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-T)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., केशवपुरा,
तहसील सेगांव, जिला खरगौन.

अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., केशवपुरा, तहसील सेगांव, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1576, दिनांक 10 अगस्त, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-U)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
मैकल कन्या महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बावड़ीखेड़ा,
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

मैकल कन्या महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बावड़ीखेड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1586, दिनांक 08 दिसम्बर, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-V)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाणगंगा,
तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाणगंगा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1596, दिनांक 24 जुलाई, 2010 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-W)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
जय अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., तमोलिया,
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

जय अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., तमोलिया, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1599, दिनांक 23 सितम्बर, 2010 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-X)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
नवदुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कटघड़ा,
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

नवदुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कटघड़ा, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1602, दिनांक 03 नवम्बर, 2010 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(556-Y)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
शिवशक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरलाय,
तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

शिवशक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरलाय, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1644, दिनांक 17 मई, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(556-Z)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समराज,
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समराज, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1454, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(557)

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, विदिशा

विदिशा, दिनांक 27 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.— निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., हामिदपुर	863/30-3-2013	693/23-5-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सेमरा	873/30-3-2013	694/23-5-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., महोली	864/30-3-2013	695/23-5-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., ल्योंदा	829/8-2-2013	696/23-5-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., विषवा	828/8-2-2013	697/23-5-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रसूलपुर	832/8-2-2013	698/23-5-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मदनयाई	844/26-2-2013	699/23-5-2016
8.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., अमारी	846/28-2-2013	700/23-5-2016
9.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., खिरिया	856/13-3-2013	701/23-5-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 27 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(558)

डी. के. दुबे,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि/2016/745.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/334, दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा मुझे ताप्ती साख सहकारी संस्था मर्या., जावरा, विकासखण्ड आठनेर, पंजीयन क्रमांक 1712, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, के. एल. राठौर परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार

नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

(559)

के. एल. राठौर,
परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/748.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक/परि./2016/616, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोथलकुंड	1658/16-11-2011	भैंसदेही
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुकूरु	1668/30-01-2012	भैंसदेही
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देडपानी	1667/20-12-2011	भैंसदेही
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खजरी	1622/08-03-2010	आमला
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामघाटी	1659/16-11-2011	भैंसदेही
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राजनी	1662/30-11-2011	भैंसदेही
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालनेर	1519/29-09-2005	भैंसदेही
8.	जय महालक्ष्मी बांस उद्योग सह. संस्था, भैंसदेही	1041/06-08-1983	भैंसदेही
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झल्लार	937/20-10-1978	भैंसदेही

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, सी. एल. डोंगरे, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य /दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

(560)

सी. एल. डोंगरे,
परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/749.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक/परि./2016/335,

दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं क्रमांक 338 दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	महादेव मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., फोफल्या	1710/21-3-2016	शाहपुर
2.	गुरूकृपा झाडू चटाई बांस उद्योग सह. संस्था मर्या., मूढा	1546/24-2-2007	शाहपुर

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, बसंत मगरदे परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयवाधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

बसंत मगरदे,
परिसमापक.

(561)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/750.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परि./2016/618, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	आदिवासी मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., हिडली	1634/29-6-2014	भीमपुर

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, उमेश यादव, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयवाधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

उमेश यादव,
परिसमापक.

(562)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/751.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की

धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परि./2016/128, दिनांक 5 फरवरी, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	गुरूबक्स चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., जौलखेड़ा	97/10-11-1997	मुलताई

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, पूनम सिंह परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

पूनमसिंह,
परिसमापक.

(563)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/752.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परि./2016/619, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	रोणू बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झोली नं. 1	1808/25-3-2015	घोड़ाडोंगरी
2.	सतपुड़ा विप. एवं प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., घोड़ाडोंगरी	1337/10-11-1995	घोड़ाडोंगरी
3.	समृद्धी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., जुवाडी	1584/12-09-2008	घोड़ाडोंगरी
4.	मजदूर कामगार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., घोघरी	1656/14-11-2011	घोड़ाडोंगरी
5.	आदिवासी कामगार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., धसेड़	1678/4-02-2012	घोड़ाडोंगरी
6.	तवा आदिवासी मत्स्यो. सह. संस्था मर्या., लोनिया	1277/20-1-1986	घोड़ाडोंगरी
7.	सहायता साख सह. संस्था मर्या., सारणी	1801/25-3-2015	घोड़ाडोंगरी

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, आर. बी. रघुवंशी परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

रामबाबू रघुवंशी,
परिसमापक.

(564)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/753.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परि./2016/615, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	भवानी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., आष्टा	1679/16-3-2012	प्रभातपट्टन
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., झिल्पाबिरोली	1330/11-2-1995	प्रभातपट्टन
3.	साईं गृहउद्योग सहकारी संस्था मर्या., आष्टा	1696/04-02-2012	प्रभातपट्टन

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, हरिओम गुप्ता परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवाधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य /दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

हरिओम गुप्ता,
परिसमापक.

(565)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/754.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परि./2016/620, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	तपश्री बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., चिचोली	1642/22-11-2010	चिचोली

उपरोक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, एल. एल. कुशवाह, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवाधि की समाप्ती के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य /दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

एल. एल. कुशवाह,
परिसमापक.

(566)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/755.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक/परि./2016/624, दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	जनहित साख सहकारी संस्था मर्या., अमदर	1808/25-3-2015	बैतूल
2.	महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बैतूलबाजार	1800/25-3-2015	बैतूल
3.	उत्कृष्ट महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1806/25-3-2015	बैतूल
4.	तपश्री प्ला. स्टेश उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	08/24-10-2002	बैतूल
5.	वीरदुर्गादास राठौर सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1804/25-3-2015	बैतूल
6.	आदिवासी साख सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1805/25-3-2015	बैतूल
7.	जय भवानी प्रा. उप. सहकारी भंडार मर्या., बैतूल	1798/25-3-2015	बैतूल
8.	न्यायिक कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1793/25-3-2015	बैतूल

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, सुधीर मोने, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो, तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

सुधीर मोने,
परिसमापक.

(567)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन

दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1272, दिनांक 23 जनवरी, 2001 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/333, खरगौन, दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(568)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रसगांगली, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन

दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रसगांगली, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1521, दिनांक 25 जुलाई, 2007 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/66, खरगौन, दिनांक 12 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रसगांगली, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(568-A)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भुलवान्या, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन

दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भुलवान्या, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1461, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/66, खरगौन, दिनांक 12 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, भुलवान्या, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(568-B)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, काबरी, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन

दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, काबरी, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1274, दिनांक 31 जनवरी, 2004 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/66, खरगौन, दिनांक 12 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, काबरी, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित

में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(568-C)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अम्बाखेडा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन

दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अम्बाखेडा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1460, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/66, खरगौन, दिनांक 12 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, अम्बाखेडा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(568-D)

कार्यालय परिसमापक, आदिवासी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन

दिनांक 08 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अंतर्गत]

क्र./क्यू./2016.—आदिवासी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./76, दिनांक 01 जुलाई, 2005 को उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1592, खरगौन, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी.ग.) के अंतर्गत मैं, बी. एल. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक आदिवासी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मुद्रा से जारी की गई.

(568-E)

बी. एल. सोलंकी,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)

के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र साख सहकारी संस्था, देवास	349/27-06-1980	839/30-04-2016
2.	अजयीढ साख सहकारी संस्था, देवास	1191/01-12-2007	837/30-04-2016
3.	रामनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	37/05-09-1979	2150/31-12-2015
4.	गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था, क्षिप्रा, देवास	350/19-07-1974	2151/31-12-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्थाओं का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे। यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक में नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(506)

मंजुलता अग्रवाल,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्यादित, ढोल्यावाड, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 384, दिनांक 16 मार्च, 1967 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/4140, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मै, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मई, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(527)

जी. एल. बडोलें,
उप-पंजीयक

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1385.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा नाकोड़ा वनखेतिहर मजदूर कामगार

सहकारी संस्था मर्या., झारडा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 22 मई, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(570)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी निरीक्षक, जिला खरगौन

दिनांक 20 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र.	परिसमापनाधीन सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/ दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बन्हुर तह. भगवानपुरा, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश.	1458/21-10-2005	333/01-3-2016 एवं नया 715/01-06-2016.
2.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., दामखेड़ा तह. भगवानपुरा, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश.	1278/23-01-2001	333/01-3-2016 एवं नया 715/01-06-2016.

क्र./परि./2016/01.— उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश के उक्त परिसमापन आदेश क्रमांक के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत मैं, महेन्द्र ठाकुर, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, खरगौन, उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

महेन्द्र ठाकुर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(528)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2016-श्रावण 7, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. जुताई.- जिला खरगौन, बड़वानी, सिवनी में जुताई का कार्य चालू है.
3. बोनी.- ..
4. फसल स्थिति- ..
5. कटाई.- जिला उमरिया, सीधी व डिण्डोरी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2016

क्र.	जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
	1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगाढ़ 6. कैलारस				
2.	जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
	1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3.	जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेंहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
4.	जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग, तुअर, मूँगफली, गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
	1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5.	जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
	1. सेंवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6.	जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..					
4. चन्देरी	..					
5. शाढौरा	..					
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..			4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..			मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	..					
5. चाचौड़ा	..					
6. कुम्भराज	..					
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..					
4. टीकमगढ़	..					
5. बल्देवगढ़	..					
6. पलेरा	..					
7. ओरछा	..					
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..			4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..					
4. छतरपुर	..					
5. राजनगर	..					
6. बिजावर	..					
7. बड़ामलहरा	..					
8. बक्सवाहा	..					
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..			4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	..			सरसों, अलसी, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..			आलू, प्याज.		
4. पवई	..			(2) ..		
5. शाहनगर	..					
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..			4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..			तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..			आलू, प्याज कम.		
4. सागर	..			(2) ..		
5. रेहली	..					
6. देवरी	..					
7. गढ़ाकोटा	..					
8. राहतगढ़	..					
9. केसली	..					
10. मालथोन	..					
11. शाहगढ़	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, गोहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..					
2. बटियागढ़	..					
3. दमोह	..					
4. पथरिया	..					
5. जवेरा	..					
6. तेन्दूखेड़ा	..					
7. पटेरा	..					
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..					
2. मझगवां	..					
3. रामपुर-बधेलान	..					
4. नागौद	..					
5. उचेहरा	..					
6. अमरपाटन	..					
7. रामनगर	..					
8. मैहर	..					
9. बिरसिंहपुर	..					
15. जिला रीवा* :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्योंथर	..					
2. सिरमौर	..					
3. मऊगंज	..					
4. हनुमना	..					
5. हजूर	..					
6. गुढ़	..					
7. रायपुरकचुलियान	..					
16. जिला शहडोल* :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..					
2. ब्यौहारी	..					
3. जैसिंहनगर	..					
4. जैतपुर	..					
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना अधिक. राहर, राई- सरसों, गोहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..					
2. अनूपपुर	..					
3. कोतमा	..					
4. पुष्पराजगढ़	..					
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गोहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..					
2. पाली	..					
3. मानपुर	..					
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2.	रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गोहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..					
2. सिंहावल	..					
3. मझौली	..					
4. कुसमी	..					
5. चुरहट	..					
6. रामपुरनैकिन	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
20.	जिला सिंगरौली:	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	1. चितरंगी	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. देवसर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त	
	3. सिंगरौली	..						
21.	जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
	1. सुवासराटप्पा	..			4. (1) चना अधिक. गेहूँ, सरसों		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. भानपुरा	..			कम.		चारा पर्याप्त.	
	3. मल्हारगढ़	..			(2)	..		
	4. गरोठ	..						
	5. मंदसौर	..						
	6. श्यामगढ़	..						
	7. सीतामऊ	..						
	8. धुंधड़का	..						
	9. संजीत	..						
	10. कयामपुर	..						
22.	जिला नीमच :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	1. जावद	..			4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. नीमच	..			अधिक. गेहूँ, चना कम.		चारा पर्याप्त.	
	3. मनासा	..			(2)	..		
23.	जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	1. जावरा	..			4. (1) गेहूँ, चना, मूँग समान.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. आलोट	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		चारा पर्याप्त.	
	3. सैलाना	..						
	4. बाजना	..						
	5. पिपलोदा	..						
	6. रतलाम	..						
24.	जिला उज्जैन* :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
	1. खाचरौद	..			4. (1)	..	6. ..	8. ..
	2. महिदपुर	..			(2)	..		
	3. तराना	..						
	4. घटिया	..						
	5. उज्जैन	..						
	6. बड़नगर	..						
	7. नागदा	..						
25.	जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. ..
	1. बड़ौद	..			4. (1) गेहूँ, चना.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. सुसनेर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
	3. नलखेड़ा	..						
	4. आगर	..						
26.	जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
	1. मोहम्मद बड़ोदिया	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	2. शाजापुर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
	3. शुजालपुर	..						
	4. कालापीपल	..						
	5. गुलाना	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..					
2. टोंकखुर्द	..					
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. खातेगांव	..					
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..					
2. मेघनगर	..					
3. पेटलावद	..					
4. झाबुआ	..					
5. राणापुर	..					
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मूँगमोठ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..					
2. अलीराजपुर	..					
3. कट्टीवाड़ा	..					
4. सोंडवा	..					
5. भामरा	..					
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना, अधिक. कपास समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..					
2. सरदारपुर	..					
3. धार	..					
4. कुक्षी	..					
5. मनावर	..					
6. धरमपुरी	..					
7. गंधवानी	..					
8. डही	..					
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..					
2. सांवेर	..					
3. इन्दौर	..					
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2.	जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार, धान, तुअर, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..					
2. महेश्वर	..					
3. सेगांव	..					
4. खरगौन	..					
5. गोगावां	..					
6. कसरावद	..					
7. भगवानपुरा	..					
8. भीकनगांव	..					
9. झिरन्या	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	जुलाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..			4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..					
4. सेंधवा	..					
5. पानसेमल	..					
6. पाटी	..					
7. निवाली	..					
34. जिला खण्डवा* :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..			(2) ..		
3. हरसूद	..					
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..			4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..					
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..					
4. ब्यावरा	..					
5. सारंगपुर	..					
6. पचोर	..					
7. नरसिंहगढ़	..					
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..					
4. बासोदा	..					
5. नटेरन	..					
6. विदिशा	..					
7. गुलाबगंज	..					
8. ग्यारसपुर	..					
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..					
4. नसरुल्लागंज	..					
5. बुधनी	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..			4. (1) गेहूँ, तिल अधिक. चना कम. मिर्च समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..			(2) ..		
3. बेगमगंज	..					
4. गौहरगंज	..					
5. बरेली	..					
6. सिलवानी	..					
7. बाड़ी	..					
8. उदयपुरा	..					
41. जिला बैतूल* :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैंसदेही	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगरी	..			(2) ..		
3. शाहपुर	..					
4. चिचोली	..					
5. बैतूल	..					
6. मुलताई	..					
7. आठनेर	..					
8. आमला	..					
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..			4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..			(2) ..		
3. बावई	..					
4. इटारसी	..					
5. सोहागपुर	..					
6. पिपरिया	..					
7. बनखेड़ी	..					
8. पचमढी	..					
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..			4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. टिमरनी	..					
44. जिला जबलपुर* :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोरा	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पाटन	..			(2) ..		
3. जबलपुर	..					
4. मझोली	..					
5. कुण्डम	..					
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..			(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..					
4. बहोरीबंद	..					
5. ढीमरखेड़ा	..					
6. बरही	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाड़रवारा	..					
2. करेली	..					
3. नरसिंहपुर	..					
4. गोटेगांव	..					
5. तेंदूखेड़ा	..					
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..					
2. बिछिया	..					
3. नैनपुर	..					
4. मण्डला	..					
5. घुघरी	..					
6. नारायणगंज	..					
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.	रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..					
2. बजाग	..					
3. शाहपुरा	..					
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..					
2. जुन्नारदेव	..					
3. परासिया	..					
4. तामिया	..					
5. सोंसर	..					
6. पांडुर्णा	..					
7. अमरवाड़ा	..					
8. चौरई	..					
9. बिछुआ	..					
10. हरई	..					
11. मोहखेड़ा	..					
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2.	जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..					
2. केवलारी	..					
3. लखनादोन	..					
4. बरघाट	..					
5. उरई	..					
6. घंसोर	..					
7. घनोरा	..					
8. छपारा	..					
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..					
2. लाँजी	..					
3. बैहर	..					
4. वारासिवनी	..					
5. कटंगी	..					
6. किरनापुर	..					

टीप.-*जिला रीवा, शहडोल, उज्जैन, खण्डवा, बैतूल, जबलपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(542)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016